दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

के समक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषेंद्र कुमार कौरव

<u>रि.या.(सि.) 9662/2023 और सि.वि.आ. 37024/2023</u>

इनके बीच:-

श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय सीहोर,
आयुष्मति एजुकेशन एंड सोशल सोसायटी
द्वारा संचालित और प्रबंधित,
पता; ऑयलफेड प्लांट के सामने,
भोपाल-इंदौर रोड, सीहोर (मध्य प्रदेश), पिन-466001।

....याचिकाकर्ता

(द्वारा: श्री समर बंसल, श्री हर्ष पाराशर, श्री रजत कुमार और श्री चाणक्य शर्मा, अधिवक्तागण)

और

भारत संघ
द्वारा संयुक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा-I
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

.....प्रत्यर्थी सं. 1

अध्यक्ष
चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (एम.ए.आर.बी.)
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

पता: पॉकेट-14, सेक्टर-8,
द्वारका फेज-1 नई दिल्ली-110077,
भारत .....प्रत्यर्थी सं. 2

(द्वारा: सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, कें.सर.स्था.अधि. के साथ सुश्री पिंकी पवार और श्री आकाश पाठक प्र.-1 के अधिवक्तागण।

श्री टी. सिंहदेव, श्री भानु गुलाटी और श्री अभिजित चक्रवर्ती, प्र.-2 के अधिवक्तागण।)

उद्घोषित: 14.08.2023

<u>निर्णय</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं.1/भारत संघ (इसके बाद 'यू.ओ.आई.') द्वारा दिनांक 14.07.2023 को पारित आक्षेपित आदेश को चुनौती देने की मांग की है, जिसमें याचिकाकर्ता की दूसरी अपील को खारिज कर दिया गया है, प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 23.06.2023 के आदेश की पुष्टि की गई है, जिससे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (इसके बाद 'एन.एम.सी.') के प्रत्यर्थी सं.2/चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (इसके बाद 'एम.ए.आर.बी.') द्वारा दिनांक 08.05.2023 को पारित मूल आदेश की पुष्टि होती है।

2. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2014

द्वारा स्थापित एक निजी विश्वविद्यालय है; मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 में संशोधन के माध्यम से। विश्वविद्यालय का प्रबंधन और संचालन आयुष्मति एजुकेशन एंड सोशल सोसाइटी द्वारा किया जाता है।

3. याचिकाकर्ता, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के उद्देश्य से, एम.ए.आर.बी. द्वारा दिनांक 18.07.2022 को जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार मान्यता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रयास किया था।

4. याचिकाकर्ता ने निर्धारित शुल्क जमा कर दिया। उक्त आवेदन की स्थिति "प्रगति में" के रूप में दिखाई गई थी। प्रारंभ में, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10.08.2022 थी। चूंकि याचिकाकर्ता को ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आवेदन की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 10.08.2022 को, याचिकाकर्ता ने पावती के सहारे एम.ए.आर.बी. के कार्यालय में उसी आवेदन की कागजी कॉपी जमा की। याचिकाकर्ता को अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति के संबंध में कोई पावती प्राप्त नहीं हुई, इसलिए, याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता के आवेदन की स्थिति को अद्यतन करने के अनुरोध के साथ 24.02.2023, 13.03.2023, 01.04.2023 और 03.04.2023 को एम.ए.आर.बी. को विभिन्न मेल भेजे।

5. 08.05.2023 को, एम.ए.आर.बी. ने याचिकाकर्ता को यह कहते हुए जवाब दिया कि हालाँकि एम.ए.आर.बी. को 8,26,000/- रूपये की राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन, एन.एम.सी. पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ नए कॉलेज का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नए कॉलेज की स्थापना के लिए किसी भी आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में, कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6. दिनांक 20.05.2023 को, याचिकाकर्ता ने **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019** (इसके बाद ***'एन.एम.सी. अधिनियम, 2019***) की धारा 28(5) के तहत अपनी पहली अपील एन.एम.सी. के समक्ष दायर की। दिनांक 23.06.2023 के आदेश के *माध्यम* से, एन.एम.सी. ने पहली अपील को उसी कारण को दोहराते हुए खारिज कर दिया जो मूल आदेश में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन कोई आवेदन जमा नहीं किया था और इस तरह के आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में, एम.ए.आर.बी. के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

7. इसके बाद याचिकाकर्ता ने एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28(6) के तहत यू.ओ.आई. के समक्ष अपनी दूसरी अपील दायर की, जिसे 14.07.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है।

8. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि दिनांक 08.05.2023 आक्षेपित सुचना और अपीलों में पारित आदेश अवैध और अनुचित हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण का दृष्टिकोण उतना ही गलत है जितना कि उन्होंने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि कागज़ी प्रति में आवेदन करना समय के भीतर, यानी 10.08.2022 को दाखिल किया गया था।

9. इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार आवेदन शुल्क स्वीकार किए जाने और कागज़ी प्रति स्वीकार किए जाने के बाद, उस पर विचार नहीं करने का कोई कारण नहीं था। किसी भी मामले में, यदि यह स्वीकार्य नहीं था, तो प्रत्यर्थीगण द्वारा कागज़ी प्रति को अस्वीकार करने वाले याचिकाकर्ता को तत्काल सूचित किया जा सकता था ताकि याचिकाकर्ता उचित उपाय कर सके या निर्धारित समय सीमा के भीतर एक नया आवेदन दायर कर सके।

10. फिर उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का इरादा स्पष्ट है। केवल कुछ तकनीकी कारणों के आधार पर, आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। सोबन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, अल्मोड़ा (इसके बाद *'सोबन सिंह इंस्टीट्यूट'*) के मामले में दूसरी अपील में यू.ओ.आई. द्वारा पारित शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से संबंधित 03.01.2022 के आदेश के साथ समानता का दावा किया, जिसमें समान परिस्थितियों में, मामले को नए सिरे से विचार के लिए

मूल प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया था और निरीक्षण के बाद उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

11. फिर उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता निरीक्षण के दौरान मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता, तो यह एक अलग स्थिति होती, लेकिन किसी भी मामले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लिए निष्पक्ष विचार के अधिकार को निरीक्षण का मौका दिए बिना मनमाने ढंग से इनकार नहीं किया जा सकता है।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विनियमों के विभिन्न सेटों अर्थात, **भारतीय चिकित्सा परिषद (मेडिकल कॉलेज की स्थापना) विनियम, 1999** (इसके बाद ***'विनियम, 1999'***) **और नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023** (इसके बाद ***"विनियम, 2023"***) द्वारा इंगित किया गया है कि केवल ऑनलाइन तरीका से ही आवेदन आमंत्रित करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है।

13. वे इस बात पर जोर दिए कि वेब पोर्टल द्वारा आवेदन आमंत्रित करना एक तरीका है और आवेदनों को वास्तविक तरीके से भी जमा या स्वीकार किया जा सकता है। उनके अनुसार, वास्तविक रूप से आवेदन की स्वीकृति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है।

14. उन्होंने ***रॉयल मेडिकल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है। उपरोक्त मामले में पैराग्राफ सं. 33 पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण को आवेदन स्वीकार करने सहित विनियमों की अनुसूची में समय सीमा बढ़ाने या संशोधित करने का पूरी तरह से अधिकार है। उनके अनुसार, आवेदन स्वीकार करने की समय-सीमा इतनी पवित्र अलंघनीय नहीं है कि इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।

15. अपने प्रस्तुति को और मजबूत करने के लिए उन्होंने ***रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद*** के मामले में इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा किया है कि आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले कुछ आवश्यक दस्तावेजों पर बाद में भी विचार किया जा सकता है। ***रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन*** (पूर्वोक्त) के मामले पर भरोसा करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि उस मामले में, इस अदालत ने अंतिम तिथि के बाद संबद्ध निकाय को एन.ओ.सी. जमा करने की अनुमति दी थी।

16. उन्होंने आगे ***अमृत कुंवर महाविद्यालय बनाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद*** मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किए और वह इस बात पर प्रकाश डाले कि इस अदालत ने तकनीकी गड़बड़ी के कारण अंतिम तिथि से पहले दस्तावेजों को अपलोड नहीं करने के पहलू पर विचार किया और उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 6 से 14 तक, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब

भुगतान करने के प्रयास किए गए थे और कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण, वे सफल नहीं हुए, तो केवल यही आवेदन को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है।

17. एम.ए.आर.बी. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का कड़ा विरोध किए। अपने प्रति-शपथपत्र पर भरोसा करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस स्तर पर, वर्तमान रिट याचिका में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

18. उनके अनुसार, एम.ए.आर.बी. ने दिनांक 18.07.2022 के नोटिस के *माध्यम* से नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने, सीटों में वृद्धि और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण के लिए यू.जी. एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नोटिस में निर्दिष्ट किया गया था कि आवेदन 21.07.2022 से 10.08.2022 के बीच जी.एस.टी. के साथ ऑनलाइन पोर्टल द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ जमा किए जाने थे। दिनांक 10.08.2022 के एक दुसरे सार्वजनिक नोटिस के द्वारा, आवेदनों की प्राप्ति की तिथि 31.08.2022 (अपराह्न 06:00 बजे) तक बढ़ा दी गई। एम.ए.आर.बी. ने दिनांक 15.12.2022 को अन्य सार्वजनिक नोटिस के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल को 15.12.2022 से 23.12.2022 तक फिर से खोलने का निर्णय लिया।

19. फिर उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुमेय समय सीमा के भीतर, कोई भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। 14.10.2022 को, जब

याचिकाकर्ता की फीस उसके खाते से काट ली गई और एन.एम.सी. के खाते में जमा कर दी गई, तो आवेदकों को सलाह दी गई थी कि वे आवेदन ट्रैकिंग नंबर का हवाला देते हुए एन.एम.सी. ऑनलाइन पोर्टल से अपने आवेदनों की प्रगति पर नज़र रखें।

20. वह आगे प्रस्तुत किए कि वर्तमान मामले में, जब कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं था, याचिकाकर्ता को या तो ऑनलाइन आवेदन फिर से जमा करने के लिए या अक्टूबर 2022 के महीने में ही उचित कानूनी सहारा लेने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए थे।

21. वह प्रस्तुत किए कि एम.ए.आर.बी. का दिनांक 08.05.2023 का निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुसार है और कागज़ी प्रति में किसी भी आवेदन को स्वीकार करने का कोई आदेश नहीं है। वह प्रस्तुत किया कि एम.ए.आर.बी. को अपने कार्यालय में हर दिन हजारों दस्तावेज प्राप्त होते हैं। उन सभी कागजातों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से बचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल द्वारा सोच-समझकर आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

22. फिर वह प्रस्तुत किए कि एक बार ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आवेदन स्वीकार करने का तरीका निर्धारित हो जाने के बाद, उसे केवल उसी तरीके से स्वीकार किया जाएगा और किसी भी अन्य तरीके से जमा किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

23. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 2023 के लिए एन.ई.ई.टी. यू.जी. शेड्यूल में अखिल भारतीय कोटा के लिए पहले दौर की काउंसलिंग 20.07.2023 से 28.07.2023 और पहले दौर के लिए राज्य काउंसलिंग 25.07.2023 से 04.08.2023 के बीच आयोजित करने का विचार किया गया है। इसमें शामिल होने की अंतिम तिथि 08.08.2023 है। काउंसलिंग का दूसरा दौर 09.08.2023 को शुरू हुआ और 28.08.2023 को समाप्त हुआ। उनके अनुसार, इस विलंबित चरण में, मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए किसी भी निर्देश के गंभीर परिणाम होंगे जैसे कि एन.एम.सी. को आकस्मिक निरीक्षण का लाभ उठाने से वंचित करना, याचिकाकर्ता संस्थान की सुविधा/बुनियादी ढांचे का उचित मूल्यांकन, समय के भीतर अच्छी तरह से आवेदन करने वाले अन्य संस्थानों के साथ विपरीत भेदभाव, चिकित्सा शिक्षा के मानक के साथ छेड़छाड़, विभिन्न सार्वजनिक नोटिसों में निर्धारित कार्यक्रम को कमजोर करना और प्रवेश प्रक्रिया में विसंगतियां पैदा करना और एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के मन में अनिश्चितता पैदा करना है। उन्होंने ***रॉयल मेडिकल ट्रस्ट*** (पूर्वोक्त), ***डी. वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद, पूनैया रामाजयम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम आकाश एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट*** और ***भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम वी.एन. पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट*** के विभिन्न मामलों माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय

पर भरोसा किया है और ***के.पी.सी. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम भारत संघ और अन्य, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान बनाम भारत संघ, त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज बनाम भारत संघ और अन्य, भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम अम्मा चंद्रावती शैक्षिक और पूर्त न्यास, भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज*** और ***भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम चेट्टीनाड अस्पताल और अनुसंधान संस्थान*** के विभिन्न मामलों में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

24. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

<u>महाविद्यालयों की स्थापना/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत/उसमें प्रवेश के लिए अंतिम तिथि का महत्व।</u>

25. प्रारंभ में ही, इस बात पर विचार करना प्रासंगिक है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, विशेष रूप से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य वाली संस्थान के पास छात्रों को उचित शिक्षा देने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से बुनियादी ढांचा का एक निश्चित स्तर होना चाहिए। संस्थानों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे, उपकरणों और कर्मचारियों के आधार पर, एन.एम.सी. संस्थानों को मान्यता देने का निर्णय लेती है।

26. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उसमें प्रवेश से संबंधित अधिनियमों के तहत बनाए गए विनियमों सहित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

27. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए, न केवल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए निर्धारित समय-सीमा महत्वपूर्ण है, बल्कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए सभी आवश्यक चरण भी महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य को देखते हुए, यदि किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए आंतरिक समय-सीमा को किसी विशेष मामले पर अलग तरीके से लागू किया जाता है, तो इससे न केवल अन्य समान स्थिति वाले आवेदकों के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि प्रवेश की प्रक्रिया में भी असमानता पैदा करेगा।

28. मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पहले **भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956** (इसके बाद ***"1956 का अधिनियम"***) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता था।

29. 1956 के अधिनियम की धारा 10क एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना और नए पाठ्यक्रम की अनुमति से संबंधित है। एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित या प्रशिक्षण) शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक थी जो इस तरह के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्राप्त छात्र को किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता के लिए अर्हता प्राप्त

करने में या अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए सक्षम बनाती थी।

30. 1956 के अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा 2(क) के अनुसार, धारा 10क की उप-धारा 1 के तहत अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से, आवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने थे। उन आवेदनों को भारतीय चिकित्सा परिषद (इसके बाद *"परिषद"*) की अनुशंसा के लिए भेजा जाना था। परिषद का गठन 1956 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किया गया है।

31. 1956 के अधिनियम के तहत विभिन्न संशोधन किए गए हैं और परिषद को भी एक नए तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। हालाँकि, 1956 के अधिनियम के निरसन के बाद, पूरी व्यवस्था अब एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

32. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की प्रस्तावना इस प्रकार हैः-

> *"एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए अधिनियम जो गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करता है, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है; जो समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाता है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है; जो चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है; जिसमें चिकित्सा संस्थानों का वस्तुनिष्ठ आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन*

होता है और भारत के लिए एक चिकित्सा रजिस्टर के अनुरक्षण की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है; जो बदलती जरूरतों के अनुकूल होने के लिए लचीला है और इसमें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए है।"

33. यह स्पष्ट है कि अन्य के अलावा, एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करता है जो गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करती है और देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। यह न्यायसंगत और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाता है। अन्य बातों के साथ-साथ, यह चिकित्सा संस्थानों का वस्तुनिष्ठ आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन भी प्रदान करता है, भारत के लिए चिकित्सा रजिस्टर के अनुरक्षण की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है। एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना भी प्रयोजन है।

34. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 3 के अनुसार, एन.एम.सी. का गठन एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कार्यों को करने के लिए किया गया था। एन.एम.सी. एक निगमित निकाय होगा जिसके पास एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के प्रावधानों

के तहत शक्ति के साथ स्थायी पदारोहण और सामान्य मुहर होगी। एन.एम.सी. में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और अध्यक्ष उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला चिकित्सा पेशेवर होगा, जिसके पास चिकित्सा विज्ञान के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होगी और चिकित्सा विज्ञान आदि के क्षेत्र में बीस साल से कम का अनुभव नहीं होगा।

35. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 5 के अनुसार, एन.एम.सी. के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कैबिनेट सचिव और विशेषज्ञों की अध्यक्षता में एक खोज समिति का गठन किया जाता है।

36. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 16 के अनुसार, केंद्र सरकार को एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के तहत ऐसे बोर्डों को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए एन.एम.सी. की समग्र देखरेख में विभिन्न स्वायत्त बोर्डों को अधिसूचित/गठित करने का अधिकार है।

37. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के तहत शक्तियों को विकेंद्रीकृत किया गया है। शक्तियाँ अब किसी एक इकाई में निहित नहीं हैं और अब संबंधित स्वायत्त बोर्डों द्वारा निष्पादित की जा रही हैं, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्थापित की गई हैं। स्वायत्त बोर्डों की संरचना एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 17 में भी उल्लिखित है। उक्त अधिनियम के प्रावधान एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के तहत एन.एम.सी., स्वायत्त बोर्डों और अन्य

प्राधिकरणों की शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट रूप से सीमांकन करते हैं। 1956 के अधिनियम की धारा 10क के प्रावधानों के समान, एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28 के तहत प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एम.ए.आर.बी. की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना या कोई नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने या सीटों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगाई गई है।

38. नए अधिनियम अर्थात्, एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के तहत की योजना, अब से आवेदन केंद्र सरकार को जमा नहीं किए जाने हैं, बल्कि जब भी आवेदन आमंत्रित किए जाय हैं, उन्हें एम.ए.आर.बी. को प्रस्तुत किया जाना है। एम.ए.आर.बी. की शक्तियों और कार्यों को एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 26 के तहत परिभाषित किया गया है।

39. धारा 28 के तहत योजना को मंजूरी देने या अस्वीकृत करने के मानदंड 2019 के अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रदान किए गए हैं। एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28 और 29 निम्नानुसार है:-

*"**28.** (1) कोई भी व्यक्ति चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं करेगा या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा या सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा।*
(2) उप-धारा (1) के तहत अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड को ऐसे प्रपत्र में योजना प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें ऐसे विवरण हों, जिसमें ऐसे शुल्क के साथ और ऐसे तरीके से हो, जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

(3) चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, धारा 29 में निर्दिष्ट मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, उप-धारा (2) के तहत प्राप्त योजना पर विचार करेगा और ऐसी प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसी योजना को या तो मंजूरी देगा या अस्वीकार करेगा:
बशर्ते कि ऐसी योजना को अस्वीकार करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को दोषों को सुधारने का अवसर दिया जाएगा।

(4) जहाँ किसी योजना को उप-धारा (3) के तहत अनुमोदित किया जाता है, वहाँ ऐसा अनुमोदन उप-धारा (1) के तहत नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति होगी।

(5) जहां उप-धारा (3) के तहत कोई योजना अस्वीकृत की जाती है, या जहां उप-धारा (1) के तहत कोई योजना जमा करने के छह महीने के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, वहां संबंधित व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति के पंद्रह दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, छह महीने के अंतराल के भीतर, ऐसी तरीके से योजना के अनुमोदन के लिए आयोग में अपील कर सकता है जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

(6) आयोग अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर उप-धारा (5) के तहत प्राप्त अपील पर निर्णय लेगा और यदि आयोग योजना को मंजूरी देता है, तो ऐसा अनुमोदन एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए उप-धारा (1) के तहत अनुमति होगी और यदि आयोग योजना को अस्वीकार करता है, या निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहता है, तो संबंधित व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति के सुचना के तीस दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर केंद्र सरकार को दूसरी अपील कर सकता है।

(7) चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड किसी भी समय किसी भी चिकित्सा संस्थान का मूल्यांकन कर सकता है, या तो सीधे या किसी अन्य विशेषज्ञ द्वारा जो चिकित्सा पेशे की पूर्णता और अनुभव रखता है और बिना किसी पूर्व सूचना के और ऐसे चिकित्सा संस्थान के प्रदर्शन, मानकों और मानकों का मूल्यांकन और निर्धारण कर सकता है।
स्पष्टीकरण:
इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" शब्द में विश्वविद्यालय, न्यास या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है।

29. *धारा 28 के तहत किसी योजना को मंजूरी देने या अस्वीकृत करते समय, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, या आयोग, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:–*

(क) वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता;

(ख) क्या मेडिकल कॉलेज के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संकाय और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं या योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी;

(ग) क्या योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रदान की जाएंगी;

(घ) ऐसे अन्य कारक जो निर्धारित किए जा सकते हैं:
बशर्ते कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन, उन मेडिकल कॉलेजों के लिए मानदंडों में ढील दी जा सकती है जो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।"

40. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28 और 29 के अवलोकन से पता चलता है कि एम.ए.आर.बी. को वित्तीय संसाधनों, शैक्षणिक संकाय, अन्य आवश्यक सुविधाएँ, अस्पताल सुविधाओं और निर्धारित अन्य कारकों सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है। इसमें यह भी कहा गया है कि पात्रता का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर होना चाहिए। अपने विवेकाधिकार के तहत एम.ए.आर.बी. को आवेदन/योजना का उचित मूल्यांकन करने के लिए संबंधित आवेदक से दस्तावेजों सहित कुछ अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

41. मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए दृढ, बहुआयामी तैयारी की आवश्यकता होती है। यह केवल बुनियादी सुविधाओं से युक्त भवन के निर्माण तक ही सीमित नहीं है। संबंधित विभागों के तहत योग्य डॉक्टरों के साथ-साथ योग्य शिक्षण कर्मचारी और पर्याप्त उपकरण कुछ आवश्यकताएं हैं जो एक मेडिकल कॉलेज के पास अवश्य होनी चाहिए।

42. यदि किसी मेडिकल कॉलेज में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो यह रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है और ऐसे मेडिकल कॉलेजों में दाखिल छात्र प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो चिकित्सा शिक्षा के लिए परम आवश्यक है। चिकित्सा एक ऐसा पेशा नहीं है जिसका अभ्यास निर्वात में किया जा सकता है।

43. मेडिकल कॉलेजों की यह सुनिश्चित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब छात्र उन कॉलेजों के दरवाजे छोड़ दें, तो वे पेशे के साथ आने वाली जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार रहें। उन सभी पहलुओं को रातोंरात पूरा नहीं किया जा सकता है। इसे चरण-दर-चरण विकसित किया जाता है और इसलिए, सभी चरणों में, एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के तहत जांच और संतुलन प्रणाली है।

44. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय द्वारा जिस पहले मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है, वह है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय-सीमा में हस्तक्षेप की गुंजाइश, जिसमें उच्चतम न्यायालय की विभिन्न

घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने इस संबंध में आधिकारिक रूप से कानून निर्धारित किया है।

45. ***उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम डॉ. अनुपम गुप्ता और अन्य*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय चिकित्सकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के महत्व से संबंधित शुरुआती मामलों में से एक से यह पता चलता है कि वर्ग के बीच में प्रवेश का विरोध किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह पाठ्यक्रमों की प्रगति को बाधित करेगा और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के लिए एक बाधा के रूप में भी काम करेगा। भले ही सीटें खाली हों, लेकिन यह देरी से प्रवेश देने का आधार नहीं हो सकता है और पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद रिक्त सीटों पर उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उच्च न्यायालय के निर्देश अनुचित पाए गए।

46. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले के तथ्य अलग-अलग हैं, हालांकि, कानून का सिद्धांत यह है कि बिना तर्कपूर्ण कारणों के प्रवेश शिड्यूल में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है, बहुत अधिक मान्यता प्राप्त है।

47. ***पंजाब राज्य और अन्य बनाम रेणुका सिंगला और अन्य***, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों (चिकित्सा पाठ्यक्रमों का समविषयक) में छात्रों को देर से प्रदान किए गए दाखिला पर विचार किया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अतिरिक्त सीट बनाने के प्रभाव से "अनुकंपा के आधार" पर छात्र के प्रवेश के लिए कोई भी निर्देश, दंत चिकित्सक

अधिनियम, 1948 की धारा 10-क और धारा 10-ख (3) का उल्लंघन है और तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस तरह के निर्देश को अपास्त किया जाता है। इस मामले में भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए शिड्यूल के महत्व पर जोर दिया।

48. ***भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य***, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चिकित्सा के छात्र को कठिन अध्ययन की आवश्यकता होती है और यह केवल तभी किया जा सकता है जब मेडिकल कॉलेज में उचित सुविधाएं उपलब्ध हों और उससे जुड़े अस्पताल में पूर्ण उपस्कर व साज-सामान सहित हो। शिक्षण संकाय और डॉक्टरों को इतना सक्षम होना चाहिए कि जब कोई मेडिकल छात्र आए, तो वह मनुष्यों के उपचार के विज्ञान में परिपूर्ण हो और किसी भी तरह से अभाव न पाया जाए। यह भी माना गया है कि देश नहीं चाहता कि आधे-अधूरे चिकित्सा पेशेवर मेडिकल कॉलेजों से बाहर आएं, जब उनके पास शिक्षण की पूरी सुविधाएं नहीं थीं और वे अपने अध्ययन के दौरान रोगियों और उनकी बीमारियों के संपर्क में नहीं थे।

49. ***कर्नाटक राज्य*** (पूर्वोक्त) का मामला सीटों की संख्या बढ़ाने में राज्य सरकार की कार्रवाई के संबंध में था जिसे अवैध माना गया था। इसलिए यह निर्देश दिया गया कि कोई भी मेडिकल कॉलेज या संस्थान जो एमबीबीएस/उच्चतर पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा/डिग्री/उच्चतर विशेषज्ञता सहित) में

दाखिला क्षमता बढ़ाना चाहता है, उसे राज्य सरकार और उस विश्वविद्यालय की अनुमति के साथ जिसके साथ वह संबद्ध है अनुमति के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करना होगा और वह चिकित्सा परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप होगा।

50. ***भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम मधु सिंह और अन्य*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से पाठ्यक्रम और दाखिला के लिए समय-सीमा प्रदान करने की आवश्यकता व्यक्त की है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित तिथि के बाद कोई भी दाखिला नहीं लिया जा सकता है, जो अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम शुरू होने की तारीख होनी चाहिए। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 23 इस प्रकार है:-

> *"23. हालाँकि, विशेष रूप से पाठ्यक्रम के लिए समय-सीमा प्रदान करने और उस अवधि को तय करने की आवश्यकता है जिसके दौरान दाखिला हो सकते हैं, यह स्पष्ट करते हुए कि निर्धारित तिथि के बाद कोई दाखिला नहीं लिया जा सकता है, जो अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम शुरू करने की तारीख होनी चाहिए।*
>
> *निष्कर्षतः*
>
> *(i) वर्ग के मध्य में छात्रों को प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि यह चिकित्सा शिक्षा को नियंत्रित करने वाले कानूनों की भावना के खिलाफ होगा;*
>
> *(ii) भले ही सीटें खाली हों तो भी यह सत्र के मध्य में प्रवेश के लिए आधार नहीं हो सकती हैं;*
>
> *(iii) अगले वर्ष की अनुमत सीटों के साथ पिछले वर्ष की खाली सीटों का घालमेल नहीं हो सकता है;*

(iv) एम.सी.आई. यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा लेने वाले निकाय इस पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम शुरू होने की तारीख और प्रवेश की अंतिम तिथि निर्दिष्ट करते हुए एक समय-सीमा निर्धारित करें;

(v) प्रवेश के लिए विभिन्न तौर-तरीकों पर काम किया जा सकता है और निर्धारित होने पर परीक्षा आयोजित करने, आदि जैसे आवश्यक कदमों को निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा;

(vi) जहां तक दाखिला का संबंध है, शिड्यूल में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(vii) संबंधित संस्थान द्वारा किसी भी फ़ेरबदल के मामले में, एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।"

51. ***भारतीय चिकित्सा परिषद बनाम राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और अन्य*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1956 के अधिनियम की धारा 10-क के प्रावधानों पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि 1956 के अधिनियम की धारा 10-क के अनुसार मेडिकल कॉलेज शुरू करने या स्थापित करने या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि इस योजना के तहत परिकल्पित विभिन्न कदमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं. 13 इस प्रकार है:-

"13. विधि सुस्थापित है कि चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 10-क जो उन नियमों और शर्तों का प्रावधान करती है जिन्हें एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने या स्थापित करने या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले पूरा करना होता है, यह स्पष्ट करते हुए कि इसके तहत जो अभिधारणा की गई

है वह केंद्र सरकार द्वारा पहले संबंधित संस्थान द्वारा किए गए आवेदन का मूल्यांकन है और फिर उसे आगे की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को अग्रेषित करना है। इस योजना के तहत विभिन्न चरणों की परिकल्पना की गई है, जैसे कि:

(क) परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा आशय पत्र जारी करना;

(ख) दाखिला शुरू करने के लिए परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना;

(ग) परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक नवीकरण को जारी करना;

(घ) इस चरण में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले छात्रों का पहला बैच अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए जाता है, परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान की जाती है; और

(ङ) यदि किसी भी स्तर पर छात्रों के पहले बैच की अनुमति के लिए प्रारंभिक अनुमति देने के बाद कोई कॉलेज वैधानिक नियमों के अनुसार किसी भी क्रमिक वर्ष में न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो आगे के प्रवेश किसी भी स्तर पर रोके जाने योग्य हैं।

52. ***मृदुल धर (अवयस्क) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि नए कॉलेज की स्थापना या मौजूदा कॉलेज में प्रवेश की क्षमता बढ़ाने के लिए निश्चित समय का सभी संबद्धों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 35 इस प्रकार है:-

"35. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

1. सभी भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर साल 10 जून तक 10+2 का परिणाम घोषित करेंगे और 15 जून तक छात्रों को अंकपत्र उपलब्ध कराएंगे।

उपरोक्त शर्त वर्ष 2005 के लिए पश्चिम बंगाल पर लागू नहीं होगी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पश्चिम बंगाल संबंधित छात्रों को 15-6-2005 तक अंकपत्र उपलब्ध कराएगा। बोर्ड के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. दिनांक 25-2-2004 की अधिसूचना में उल्लिखित समय सारिणी का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी संबंधित लोगों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा और राज्य चिकित्सा/दंत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के परिणाम 15 जून से पहले घोषित किए जाएंगे।

3. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राज्य स्तरीय मेडिकल/डेंटल कॉलेज में प्रवेश के पहले दौर की दाखिला प्रक्रिया 25 जुलाई तक यानी अखिल भारतीय कोटे के तहत दूसरे दौर की काउंसलिंग या सीटों के आवंटन की शुरुआत से एक सप्ताह पहले पूरी कर लेंगे। रिक्ति की सही स्थिति राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा 26 जुलाई तक डी.जी.एच.एस. को सूचित की जाएगी। इसे संस्थान के प्रमुख/या राज्य के चिकित्सा संस्थान/स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

4. यह प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों और/या स्वास्थ्य सचिवों सहित सभी संबंधितों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और विनियमों में निर्धारित अपेक्षित समय-सीमा का अननुपालन *उन्हें अपेक्षित दंडात्मक परिणामों के लिए उत्तरदायी बना देगा।*

5. डी.जी.एच.एस. द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से पहले डी.जी.एच.एस. को मान्यता/नवीनीकरण की तारीख का विवरण देते हुए अखिल भारतीय कोटे में सभी सीटों का पूरी तरह से खुलासा किया जाना चाहिए और इसे विधिवत प्रकाशित किया जाना चाहिए।

6. 31 अक्टूबर तक, राज्य, मुख्य सचिवों/स्वास्थ्य सचिवों द्वारा प्रवेश के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे, जिसमें डी.जी.एच.एस. समय-सीमा के पालन और निर्धारित कोटे के अनुसार लिए गए दाखिला के बारे में विवरण

देगा। अवज्ञाकारी राज्यों, विशेष रूप से अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उल्लंघन के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

7. डी.जी.एच.एस. वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया द्वारा काउंसलिंग *आयोजित करने की व्यवहार्यता के संबंध में 31-1-2005 तक रिपोर्ट दाखिल करेगा।*

8. डी.जी.एच.एस. तीन महीने के भीतर धारा 10-क की सीटों के 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के अधीन होने और कोटा को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के बारे में रिपोर्ट दाखिल करेगा।

9. डी.जी.एच.एस. तीन महीने के भीतर उच्चाधिकार प्राप्त समिति/लोकपाल के गठन के पहलू पर भी रिपोर्ट दाखिल करेगा।

10. 15 जुलाई तक आवंटित सीटें भी संबंधित राज्य कोटा के अधीन होंगी।

11. यदि किसी दिए गए शैक्षणिक वर्ष में कोई निजी मेडिकल कॉलेज किसी भी कारण से अपने निर्धारित कोटे से अधिक प्रबंधन कोटे में प्रवेश देता है, तो अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रबंधन कोटा कम हो जाएगा ताकि पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्रबंधन कोटे में अतिरिक्त प्रवेश के प्रभाव को समाप्त किया जा सके।

12. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए भी समय-सीमा का पालन किया जाएगा।

13. प्रवेश के लिए, प्रतियोगी परीक्षा द्वारा निर्धारित योग्यता के साथ साक्षात्कार के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से अंक देने जैसे प्रावधान करके छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

14. नए महाविद्यालय की स्थापना या मौजूदा महाविद्यालय में दाखिला बढ़ाने के लिए समय-सीमा का सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

15. विनियमों में प्रदान की गई समय-सीमा का सभी संबंधित लोगों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर चूक करने वाला पक्षकार व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

16. निर्णय की प्रति सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अनुपालन के लिए भेजी जाएगी।"

[जोर दिया गया]

53. इस प्रकार यह देखा गया है कि न केवल छात्रों के प्रवेश और पाठ्यक्रम के प्रारंभ के लिए समय-सीमा है जिसका पालन किया जाना है, बल्कि ***मृदुल धर*** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्णय को देखते हुए, एक नए कॉलेज की स्थापना या मौजूदा कॉलेज में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए परिकल्पित समय-सीमा का भी सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।

54. यहां तक कि नए निजी स्कूलों की स्थापना के लिए अनुमति के दृष्टांतों में भी, ***सुपरस्टार एजुकेशन सोसाइटी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य,*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में अनुमतियों को विनियमित करने के उद्देश्य का बहुत अधिक महत्व दिया गया है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं.8 इस प्रकार है:-

> *"8. नए निजी विद्यालयों के लिए अनुमतियों को विनियमित करने के उद्देश्य हैं:*
>
> *(i) यह सुनिश्चित करना कि उसके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा है;*
> *(ii) शैक्षणिक संस्थानों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा से बचना;*
> *(iii) शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले निजी संस्थानों को ऐसे प्रतिबंधों और विनियामक आवश्यकताओं के अधीन करना, ताकि शिक्षा के मानकों को बनाए रखा जा सके;*
> *(iv) छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा के हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना; और*
> *(v) समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों को बुनियादी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना; और*

(vi) केवल कुछ क्षेत्रों में स्कूलों की संकेंद्रण से बचना और यह सुनिश्चित करना कि वे समान रूप से फैले हुए हैं ताकि विभिन्न इलाकों और क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।"

55. ***प्रियदर्शिनी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाम भारत संघ*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी संबंधितों को आगाह किया कि ***मृदुल धर*** (पूर्वोक्त) में समय-सीमा को बनाए रखा जाना चाहिए और नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है कि कॉलेजों के निरीक्षण, अनुमति देने, अनुमति के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी पहले से ही अच्छी तरह से की जानी चाहिए ताकि बताई गई कमियों को ठीक करने के लिए समय दिया जा सके।

56. उपरोक्त स्थिति को विभिन्न अन्य घोषणाओं में दोहराया गया है स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एन.एम.सी. (तत्कालीन एम.सी.आई.) द्वारा बनाए गए नियम बाध्यकारी हैं और मानकों को विचलित नहीं किया जा सकता है।

57. ***मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम गोपाल डी. तीर्थानी और अन्य, भारती विद्यापीठ (मानद विश्वविद्यालय) और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, चौधरी नवीन हेमाभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य*** और ***हरीश वर्मा और अन्य बनाम अजय श्रीवास्तव और अन्य के मामलों में*** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का भी संदर्भ दिया जा सकता है।

58. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य*** के मामले में अन्य मुद्दों के अलावा निर्धारित शिड्यूल का पालन न

करने के प्रतिकूल परिणामों पर भी विचार किया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 40 और 41 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

> *"**40.** निर्धारित अनुसूचियों में कानून का बल होता है, क्योंकि वे इस न्यायालय के निर्णयों का हिस्सा हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में देश का घोषित कानून हैं और भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों का हिस्सा हैं, जिसमें कानून का बल भी है और जो सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी हैं। यह समझना मुश्किल है कि किसी भी प्राधिकरण के पास किसी भी स्थिति के अनुरूप इन अनुसूचियों को बदलने का विवेकाधिकार हो सकता है, चाहे वह प्राधिकरण भारतीय चिकित्सा परिषद हो, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, विश्वविद्यालय हो या कॉलेज स्तर पर सीटों के आवंटन के लिए गठित चयन निकाय हों। **हमें स्पष्ट रूप से यह घोषणा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इनमें से किसी भी प्राधिकरण के पास इस न्यायालय के निर्णयों और भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में प्रदान की गई अनुसूची या प्रवेश की प्रक्रियाओं में ढील देने, बदलाव करने या बाधित करने की शक्ति नहीं है।***
>
> ***41.** अन्य बातों के साथ-साथ, नुकसान इस प्रकार हैं:*
>
> *(1) **समय-सीमा में देरी और अनधिकृत विस्तार योग्यता के आधार पर प्रवेश के सिद्धांत को विफल कर देता है, विशेष रूप से कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के प्राथमिकता विकल्प के संबंध में। इस संबंध में, देरी से प्रवेश को माफ करके, अदालतों द्वारा उदारता दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अधिक मेधावी छात्रों की कीमत पर होगा। योग्यता के सिद्धांत से इतना स्पष्ट रूप से समझौता नहीं किया जा सकता है।** इस न्यायालय द्वारा मुस्कान डोगरा बनाम पंजाब राज्य [(2005) 9 एस.सी.सी. 186] में भी इसकी पुष्टि की गई है।*
>
> *(2) विस्तारित काउंसलिंग की आड़ में या प्रवेश की अवधि को बढ़ाकर वर्ग के मध्य में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है जो पुनः अस्वीकार्य है।*
>
> *(3) समय-सीमा के पालन में देरी, पाठ्यक्रम शुरू करने में देरी आदि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की अवधि को कम करके और मनमाने और कम*

मेधावी प्रवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देकर मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में शिक्षा के मानकों को गिरावट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

(4) असमानताएँ पैदा की जाती हैं जो छात्रों और कॉलेजों के हितों के प्रतिकूल होती हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा के निर्धारित मानक के अनुरक्षण को प्रभावित करती हैं। ये असमानताएँ इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि उम्मीदवार अधिक मेधावी उम्मीदवारों की कीमत पर निर्धारित शिड्यूलों में हेरफेर और मनमाने ढंग से संचालन करके, सक्रिय मिलीभगत के साथ या बिना दाखिला प्राप्त करते हैं। जब प्रवेश को चुनौती दी जाती है, तो इन छात्रों को अपनी सीटें खोने का जोखिम होता है, हालांकि उन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया होता है, जबकि मुकदमा सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत में लंबित था।

(5) निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने के कारण ऐसे कॉलेजों में प्रवेश के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मानक निराश करते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि तक को बढ़ाया जाता है और फिर अनुचित तरीके अपनाकर मनमाने ढंग से दाखिले लिए जाते हैं।

(6) मान्यता प्राप्त/अनुमोदित कॉलेजों और सीटों को समय पर शामिल न करने से छात्र अपनी योग्यता के आधार पर उचित कॉलेज/पाठ्यक्रम के चयन के अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं।

(7) सभी खाली सीटों को भरने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए इस आड़ में नहीं, मनमाने तरीके से और योग्यता के निर्धारित नियम का सहारा लिए बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।"

[जोर दिया गया]

59. ***प्रिया गुप्ता*** (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि यह समय की आवश्यकता है कि बाध्यकारी आदेश निर्धारित किया जाए और वैधानिक विनियमों को लागू किया जाए, ताकि सभी संबंधितों को समय-सीमा को उसकी सच्ची भावना और वास्तविकता में लागू करने की

आवश्यकता है। यह निर्देश दिया गया है कि अपवाद की एक विशेष स्थिति से निपटने के लिए कुछ खिड़कियों को खुला रखना मुश्किल है और सलाह भी नहीं दी जाती है, क्योंकि यह सुचारू रूप से काम करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है कानूनों का कार्यान्वयन और योजना के उद्देश्य को विफल कर सकती है। सभी संबंधितों द्वारा गंभीरता से विचार करने के बाद शिड्यूल निर्धारित किए गए हैं। उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और किसी भी संस्थान के कुछ आर्थिक या अन्य हितों की सुविधा के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता है, विशेष रूप से, इस तरह से कि जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों से समझौता होना तय है।

60. माननीय उच्चतम न्यायालय ने संबंधित हितधारकों की तिरस्कारपूर्ण अवमानना को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के नियम पर उनकी निंदा करते हुए सभी संबंधितों द्वारा बिना किसी आपत्ति और चूक के उसके सख्त अनुपालन के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं.46 निम्नानुसार हैः-

> ***"46.*** *संबंधित हितधारकों के* तिरस्कारपूर्ण *आचरण को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के नियम पर उनके दोष हमें चयन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई को सटीकता और* अनुकरणीय रूप से *बताने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार, हम सभी संबंधितों को बिना किसी बाधा और चूक के उसके सख्त अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:*
> ***46.1.*** *नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत या एमबीबीएस/बीडीएस के मौजूदा पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि को उस वर्ष के प्रासंगिक शैक्षणिक सत्रों के*

लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 15 जुलाई तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/मान्यता दी जानी है।

46.2. *भारतीय चिकित्सा परिषद, इसके तुरंत बाद, उचित निर्देश जारी करेगी और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर प्रवेश की प्रक्रिया के कार्यान्वयन और शुरुआत को सुनिश्चित करेगी।*

46.3. *प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई के बाद, न तो भारत संघ और न ही भारतीय चिकित्सा या दंत चिकित्सा परिषद वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए कोई मान्यता या अनुमोदन जारी करेगी। यदि किसी वर्ष 15 जुलाई के बाद ऐसी कोई मंजूरी दी जाती है, तो यह केवल अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए ही लागू होगी, न कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए। एक बार संबंधित वर्ष की 15 जुलाई को या उससे पहले मंजूरी/अनुमोदन दिए जाने के बाद, उस कॉलेज का नाम और सभी सीटें नियमों के अनुसार पहली और दूसरी काउंसलिंग दोनों में शामिल की जाएंगी।*

46.4. *कोई भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज, या उसकी सीटें, जिसके लिए संबंधित वर्ष की 15 जुलाई के बाद मान्यता/अनुमोदन जारी किया जाता है, संबंधित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा और उस कॉलेज को ऐसी सीटों पर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं होगा।*

46.5. *मेडिकल या डेंटल कॉलेजों में दाखिला केवल राज्य में प्रतिस्पर्धी प्राधिकरण या निजी कॉलेजों के निकाय द्वारा आयोजित उससे संबंधित प्रवेश परीक्षाओं द्वारा किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों में चयन और प्रवेश के ये दो तरीके हैं। हालांकि, जहां राज्य परीक्षा आयोजित करने वाला एक ही बोर्ड है और एक ही मेडिकल कॉलेज है, वहां भारतीय चिकित्सा परिषद पात्रता प्रमाणपत्र विनियम, 2002 के खंड 5.1 के अनुसार प्रवेश प्रवेश पूर्णतः योग्यता क्रम में 10+2 परीक्षा के अंकों के आधार पर दिया जा सकता है।*

46.6. *उल्लिखित चयन प्रक्रियाओं में से किसी के द्वारा सभी दाखिला उचित जानकारी के बाद और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किए जाने चाहिए। हम शैक्षणिक वर्ष के 30 सितंबर को प्रवेश देने के कार्य की जोरदार निंदा करते हैं। वास्तव में, यह वह तिथि है जिसके बाद,*

असाधारण परिस्थितियों में, निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार विधिवत चयनित उम्मीदवार को एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल होना होता है। इस न्यायालय के निर्देशों के तहत, दूसरी काउंसलिंग अंतिम काउंसलिंग होना चाहिए, क्योंकि यह न्यायालय पहले ही नीलू अरोड़ा बनाम भारत संघ [(2003) 3 एस.सी.सी. 366] मामले में अभिनिर्धारित कर चुका है और इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चयन/दाखिला की स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया के तहत तीसरी काउंसलिंग का विचार या अनुमति नहीं दी गई है।

46.7. *यदि कोई सीट खाली रहती है या अखिल भारतीय कोटे से छोड़ दी जाती है, तो उन्हें सकारात्मक रूप से आवंटित किया जाना चाहिए और प्रासंगिक वर्ष के 15 सितंबर तक पुर्णतः योग्यता के अनुसार प्रवेश लिया जाना चाहिए, न कि विस्तारित काउंसलिंग आयोजित करके। शेष समय असाधारण परिस्थितियों या सीटों के समर्पण के परिणामस्वरूप खाली सीटों को भरने तक ही सीमित होगा। सभी उम्मीदवारों को शैक्षणिक वर्ष के 30 सितंबर तक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल हो जाना चाहिए।*

46.8. *कोई भी कॉलेज उपलब्ध रिक्तियों का विधिवत विज्ञापन दिए बिना और इंटरनेट, समाचार पत्र, संबंधित फीडर स्कूलों और कॉलेजों के नोटिस बोर्ड आदि पर इसकी जानकारी दिए बिना दाखिला नहीं ले सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि दाखिला योग्यता के आधार पर और उचित सुचना के बाद लिए जाएं, न कि इस तरीके से जो प्रत्यक्ष रूप से मनमाना हो और पक्षपात की छाया डालता हो।*

46.9. *सभी सरकारी कॉलेजों में दाखिला नामित प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर होना चाहिए, जबकि निजी कॉलेजों के मामले में, कॉलेजों को संबंधित वर्ष के 30 अप्रैल तक अपना विकल्प चुनना चाहिए, कि क्या वे नामित राज्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दाखिला लेना चाहते हैं या वे निजी कॉलेजों के लिए नामित एजेंसी द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त योग्यता सूची/रैंक का अनुपालन करना चाहते हैं। 30 अप्रैल तक प्रयोग किया गया विकल्प परिवर्तन के अधीन नहीं*

होगा। यह विकल्प उन कॉलेजों द्वारा भी दिया जाना चाहिए जो इन निर्देशों में निर्दिष्ट तिथि के अनुपालन में मान्यता प्रदान करने की उम्मीद कर रहे हैं।"

61. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***प्रिया गुप्ता*** (पूर्वोक्त) मामले के निर्णय के पैराग्राफ सं.47 में विशेष रूप से निर्देश दिया है कि भारत संघ, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों और संबंधित विश्वविद्यालयों या दंत चिकित्सा और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रबंधन सहित सभी संबंधितों द्वारा सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा। शर्तों का पालन करने में विफलता, कुछ परिणामों और दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगी। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 47 और 48 निम्नानुसार है:-

*"**47.** इन सभी निर्देशों का पालन भारत संघ, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों और संबंधित विश्वविद्यालयों या दंत चिकित्सा और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रबंधन सहित सभी संबंधितों द्वारा किया जाएगा। इन शर्तों के अनुपालन में कोई चूक या इन निर्देशों को लंघन करने का प्रयास, बिना किसी विफलता के, निम्नलिखित परिणामों और दंडात्मक कार्रवाइयों को आमंत्रित करेगा:*

***47.1.** प्रत्येक निकाय, अधिकारी या प्राधिकारी जो इन निर्देशों की अवज्ञा करता है या टालता है या उसका पुर्णतः पालन करने में विफल रहता है, तो वह न्यायालय अवमान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी हितबद्ध पक्षकार को ऐसी संस्था/राज्य आदि पर अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई है।*

47.2. *किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले व्यक्ति, सदस्य या प्राधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इन निर्देशों का उल्लंघन या किसी भी प्रक्रिया द्वारा उनको ठगना अनुशासनहीनता, अवज्ञा, कदाचार और लोक सेवक बनने के अयोग्य होने के समान होगा।*

47.3. *इस तरह के चूककर्ता प्राधिकारी, सदस्य या निकाय तीसरे पक्षकार द्वारा कार्रवाई और व्यक्तिगत दायित्व के लिए भी उत्तरदायी होंगे, जिन्हें इस तरह के चूक के परिणामस्वरूप नुकसान उठाना पड़ सकता है।*

47.4. *भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, भारतीय चिकित्सा परिषद या भारतीय दंत चिकित्सा परिषद और संबंधित कॉलेजों के बीच पूर्ण सहयोग और समन्वय के साथ चयन और प्रवेश प्रक्रिया का उचित संचालन होगा। वे निर्धारित शिड्यूल के अनुसार मिलकर और सख्ती से कार्य करेंगे। दूसरे शब्दों में, तैयार की गई योजना, प्रवेश के लिए शिड्यूल और इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार, ठोस कार्रवाई के लिए एक समान पैटर्न बनाने की दृष्टि से पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए।*

47.5. *जो कॉलेज चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए दाखिला लेता है, जहां चालू शैक्षणिक वर्ष के 15 जुलाई के बाद इसको मान्यता/अनुमोदन दिया जाता है, वह इस आधार पर मान्यता/अनुमोदन वापस लेने के लिए उत्तरदायी होगा, इसके अलावा ऐसे छात्रों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा जिन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है या जिन्हें कॉलेज में गलत तरीके से दाखिला दिया गया।*

47.6. *दूसरी काउंसलिंग के आयोजन के बाद एक सप्ताह की समाप्ति पर, सभी कोटा से खाली सीटों को संबंधित राज्यों के पक्ष में खाली किया गया माना जाएगा और उसके बाद प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर भरा जाएगा।*

47.7. *प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रत्येक काउंसलिंग के बाद खाली पड़ी सीटों के बारे में राज्य और केंद्र सरकार/सक्षम प्राधिकारी को सूचित करें और वे प्रत्येक काउंसलिंग के तुरंत बाद संबंधित राज्यों से भरी और खाली सीटों की पूरी जानकारी, सूची प्रस्तुत करेंगे।*

47.8. *कोई भी कॉलेज अपनी सीटों को किसी अन्य तरीके से नहीं भरेगा।*

48. *सामान्य रूप से, इन चयन/प्रवेश प्रक्रियाओं में मनमानी और भेदभाव की बुराइयों को रोकने के लिए यह न्यायालय जो निर्देश जारी करेगा, वह पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर-शोषक होने के लिए आवश्यक हैं, अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों के निपटान के लिए आगे बढ़ते हैं।*

62. ***एजुकेयर पूर्त न्यास बनाम भारत संघ और अन्य*** के मामले में यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय निर्धारित अंतिम तिथि के बाद छात्रों के प्रवेश के संबंध में मामले पर विचार किया, तथापि, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को समय-सीमा को संशोधित करने के लिए एक विशेष तरीके से अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया गया था। समय-सीमा की पवित्रता को जोड़ना होगा। इस मामले के तथ्यों के तहत, उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई थी।

63. ***एजुकेयर पूर्त न्यास*** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय का पैराग्राफ सं.17 निम्नानुसार है:-

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के समय-सीमा को बदलने के अनुरोध मान लेना संभव नहीं है जब छात्रों को प्रवेश की अंतिम तिथि, जो 15-7-2013 थी, बहुत पहले समाप्त हो गई थी। यदि केंद्र सरकार इस समय डी.सी.आई. को आवेदन अग्रेषित भेजती है, तो डी.सी.आई. के पास विनियमन 21 में निहित आवश्यकताओं के अनुसार योजना की व्यवहार्यता पर गौर करने के लिए शायद ही समय होगा। हमें यह ध्यान रखना होगा कि विनियम 2006 से जुड़ी अनुसूची में इस उद्देश्य

के लिए डी.सी.आई. को छह से आठ महीने का समय दिया गया है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कोई त्रुटि नहीं की कि दी गई परिस्थितियों में केंद्र सरकार को समय-सीमा में संशोधन करने के लिए एक विशेष तरीके से अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ***समय-सीमा की पवित्रता को जोड़ा जाना चाहिए। जहां तक वर्तमान शैक्षणिक सत्र का संबंध है, कोई भी निर्देश देने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस न्यायालय ने पेशेवर पाठ्यक्रमों, विशेष रूप से चिकित्सा पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए अंतिम तिथि के महत्व पर प्रकाश डाला है और बार-बार इस पर जोर दिया है कि समय सीमा साथ छेड़छाड़ की जानी चाहिए।*** *(प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य देखें।)*

[जोर दिया गया]

64. यहां तक कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत संचालित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से संबंधित उदाहरणों के लिए भी, ***मां वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मान्यता/संबद्धता प्रदान करने और इस प्रकार मौजूदा विनियमों के संदर्भ में पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी देने की प्रक्रिया की एक बाहरी सीमा है। यह आवश्यक पाया गया कि पूरी प्रक्रिया को ढांचे के भीतर होने के लिए, इसे राज्य की टिप्पणियों, संस्थान के निरीक्षण और विभिन्न शर्तों के अनुपालन जैसे विभिन्न चरणों सहित उक्त अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अस्पष्टता, अनिश्चितता और भ्रम न हो, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मान्यता और संबद्धता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के

विनियमों और निर्णयों के संचयी पठन पर शिड्यूल निर्धारित की। शिड्यूल का अवलोकन इंगित करती है कि मान्यता के औपचारिक आदेश जारी करने से पहले विभिन्न आंतरिक चरण होते हैं।

65. ***रॉयल मेडिकल ट्रस्ट*** (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1956 के अधिनियम के संदर्भ में विचार किया है कि विभिन्न चरणों और समय सीमाओं को निर्धारित करने वाली शिड्यूल को हर संभव घटना को समायोजित करना चाहिए और साथ ही, विभिन्न स्तरों पर नैसर्गिक न्याय के पालन की आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए। विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आयोजित किए जाने वाले निरीक्षणों में आश्चर्य के तत्व की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है।

66. आकस्मिक निरीक्षण का तत्व केवल तभी संभव है जब नियामकों के निरीक्षकों के लिए उचित समयावधि की एक स्पष्ट विंडो उपलब्ध हो। शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया से गुजरते समय प्रारंभिक मूल्यांकन, निरीक्षण, निरीक्षण के परिणाम की सूचना, अनुपालन रिपोर्ट और सत्यापन के परिणाम आदि जैसे चरणों का पालन करना आवश्यक है। किसी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह सभी चरणों को उलट देगा और इस आधार पर प्रक्रिया में शामिल होने का दावा करेगा कि बाहरी सीमा बनी हुई है। यह न केवल बाहरी सीमा है जिस तक अंतिम दाखिला लिए जाने हैं या पाठ्यक्रम शुरू किया जाना है, बल्कि आंतरिक समय सीमा और शिक्षण भी है जो अधिनियम की योजना

और विभिन्न घोषणाओं के तहत बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है।

67. ***रॉयल मेडिकल ट्रस्ट*** (पूर्वोक्त), के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ सं.31 में कुछ चरणों पर प्रकाश डाला है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि समय-सीमा में आवश्यक रूप से उन गतिविधियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 31 का निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

> *31. एम.सी.आई. और केंद्र सरकार को धारा 10-क और विनियमों के तहत निगरानी की शक्तियां दी गई हैं। इन प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वैधानिक सीमाओं के भीतर और साथ ही विनियमों की अनुसूची के अनुरूप अपने कार्यों का अच्छी तरह से निर्वहन करें। यदि उनकी ओर से निष्क्रियता है या समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है, तो इसका सभी संबंधितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। भारत संघ की ओर से दायर शपथ पत्र से पता चलता है कि हालांकि सीटों की संख्या में वृद्धि हुई थी, जाहिर है कि नए कॉलेजों की स्थापना के लिए दी गई अनुमतियों के कारण, नवीनीकरण मामलों की अस्वीकृति के कारण परिणामी प्रभाव शैक्षणिक वर्ष के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के मामले में शुद्ध नुकसान था। इस प्रकार इसने न केवल छात्र समुदाय को अवसर का नुकसान हुआ, बल्कि साथ ही डॉक्टरों की कम संख्या उपलब्ध होने के कारण समाज को भी नुकसान पहुंचाया। इसलिए एम.सी.आई. और केंद्र सरकार को आवेदन प्राप्त होने के दिन से ही समुचित तत्परता दिखानी चाहिए। विभिन्न चरणों और समय-सीमाओं का उल्लेख करने वाली शिड्यूल में प्रत्येक संभव संभाव्यता को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए और साथ ही विभिन्न स्तरों पर नैसर्गिक न्याय के अनुपालन की अपेक्षाओं का*

अनुपालन किया जाना चाहिए। हमारे विचार में शिड्यूल को आदर्श रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

*(क) प्रारंभिक स्तर पर आवेदन के **प्रारंभिक मूल्यांकन** में अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र, संबद्धता के लिए सहमति और भूमि और अस्पताल की आवश्यकता जैसी भौतिक विशेषताओं की जांच शामिल होनी चाहिए। यदि कोई आवेदक इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रथमदृष्टया उसका आवेदन अधूरा होगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा। मुलभुत आवश्यकताओं को पूरा करने वालों पर अगले चरण में विचार किया जाएगा।*

*(ख) इसके बाद एम.सी.आई. के निरीक्षकों द्वारा **निरीक्षण** किया जाना चाहिए। स्वभावतः इस तरह के निरीक्षण में आश्चर्य का तत्व होना चाहिए। इसलिए एम.सी.आई. को किसी भी समय निरीक्षण करने के लिए लगभग तीन से चार महीने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और इस तरह का निरीक्षण आम तौर पर जनवरी तक किया जाना चाहिए। औचक निरीक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक सुविधाएँ और आधारभूत संरचना हमेशा अपने स्थान पर हों और उन्हें उधार न लिया जाए या अस्थायी रूप से न लगाया जाए।*

(ग) निरीक्षण के परिणाम या परिणाम की सूचना तब दी जाएगी। यदि आधारभूत संरचना और सुविधाएं व्यवस्थित हैं, तो संबंधित मेडिकल कॉलेज को आवश्यक अनुमति/नवीनीकरण दिया जाना चाहिए, हालांकि, यदि कोई अभाव अथवा कमियां हैं तो एम.सी.आई. को कमियों को इंगित करने के बाद संबंधित कॉलेज को अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए।

(घ) यदि अनुपालन की सूचना दी जाती है और आवेदक कहता है कि कमियां दूर हो गई हैं, तो एम.सी.आई. को अनुपालन का सत्यापन करना चाहिए। यह संभव है कि इस तरह के अनुपालन को वास्तविक भौतिक सत्यापन के बिना भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उस मूल्यांकन को पूरी तरह से एम.सी.आई. और केंद्र सरकार के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां वास्तविक भौतिक सत्यापन की

आवश्यकता होती है, एम.सी.आई. और केंद्र सरकार को समय-सीमा से पहले इस तरह का सत्यापन अवश्य करना चाहिए।

(ङ) इस तरह के सत्यापन का परिणाम यदि संबंधित मेडिकल कॉलेज के पक्ष में सकारात्मक है, तो आवेदक को आवश्यक अनुमति/नवीनीकरण दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि कमियां अभी भी बनी हुई हैं या उन्हें दूर नहीं की गई है, तो आवेदक उस शैक्षणिक वर्ष के संबंध में अयोग्य हो जाएगा।

68. इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं.33 बारे में, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है, यह अभिनिर्धारित किया है कि केंद्र सरकार को अनुसूची में संलग्न नोट के तहत संबंधित विनियमों की अनुसूची में चरणों और समय-सीमाओं को संशोधित करने का अधिकार है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ***प्रिया गुप्ता*** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्देशों को इस तरह के वैधानिक सशक्तिकरण के आलोक में समझा जाना चाहिए और यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि नोट के संदर्भ में, केंद्र सरकार को विनियमों की अनुसूची में समय-सीमा को बढ़ाने या संशोधित करने का अधिकार है, हालांकि, पहले एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 30 सितंबर की समय-सीमा का हमेशा पालन किया जाना चाहिए।

69. ***रॉयल मेडिकल ट्रस्ट*** (पूर्वोक्त) के मामले में उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं.33 का विवरण इस प्रकार है:-

33. मौजूदा मामलों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने अनुसूची के नीचे नोट द्वारा अधिकृत होने के बावजूद शिड्यूल में समय-सीमा बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना। हालाँकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से प्रिया गुप्ता के

निर्देशों से विवश महसूस किया, लेकिन उसने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पक्ष में उस शक्ति का प्रयोग किया। प्रिया गुप्ता के मामले में इस अदालत के फैसले ने निस्संदेह निर्देश दिया कि विनियमों की अनुसूची का सख्ती से और ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, उस निर्णय के बाद, विनियमों में संशोधन किया गया, जिसमें एक नोट शामिल किया गया जो केंद्र सरकार को विनियमों की अनुसूची में चरणों और समय-सीमाओं को संशोधित करने के लिए सशक्त बनाता है। केंद्र सरकार से अपेक्षित इस तरह के सशक्तिकरण और शक्ति के परिणामी प्रयोग के प्रभाव पर इस न्यायालय द्वारा प्रियदर्शिनी में विचार किया गया है। इस प्रकार लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए केंद्र सरकार को आवेदकों के वर्ग या श्रेणी के संबंध में अनुसूची को संशोधित करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त है। बाद में किए गए संशोधन और उपरोक्त नोट को शामिल करने के कारण, मामले को अब प्रियदर्शिनी2 के आलोक में और उसके अनुरूप देखने की आवश्यकता है, जहां इस न्यायालय द्वारा समविषयक विनियमों में इसी तरह के नोट पर विचार किया गया था। इसलिए हमारा मानना है कि प्रिया गुप्ता3 के निर्देशों को अब इस तरह के वैधानिक सशक्तिकरण के आलोक में समझा जाना चाहिए और हम घोषणा करते हैं कि केंद्र सरकार के लिए, नोट के संदर्भ में, विनियमों की अनुसूची में समय-सीमा को बढ़ाने या संशोधित करने के लिए खुला है। तथापि, सीमा मधु सिंह और मृदुल धर(5)। के मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित प्रथम एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 30 सितंबर की समय का हमेशा पालन किया जाना चाहिए।

70. इस प्रकार यह समझा जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चरणों को संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार को विशेष रूप से सशक्त बनाने वाले नोट को शामिल करने पर विचार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से इसकी अनुमति होगी।

71. हालाँकि, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी संबंधितों द्वारा अनुसूची के सख्ती से पालन को कम नहीं किया है जैसा कि ***प्रिया गुप्ता*** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्देश दिया गया है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा समय-सीमा में संशोधन नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार/एन.एम.सी. द्वारा समय-सीमा को संशोधित करने की शक्ति के किसी भी प्रयोग के आभाव में, किसी भी प्राधिकरण के लिए समय-सीमा को कम करने का दावा करने के लिए खुला नहीं है।

72. ***डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज*** (पूर्वोक्त) के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समय-सीमा वैधानिक है और संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए संस्थान का निरीक्षण करने का कोई भी निर्देश उचित नहीं होगा क्योंकि यह माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून का भंग होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि आवेदन, प्रथमतः, पूर्ण होना आवश्यक है और अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकृत किया जा सकता है। यदि आवेदन पूर्ण है, तो केवल उसी स्थिति में, उसे निरीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया के अन्य चरणों तक पहुंचना होगा।

73. उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं.16 में इस बात पर जोर दिया गया है कि एम.सी.आई. को निरीक्षण करने की आवश्यकता है और उसके बाद संस्थानों की कमियों को इंगित करने, टिप्पणियों को आमंत्रित करने और केंद्र सरकार को

अपनी सिफारिशें भेजने की आवश्यकता है। यह भी ध्यान दिया गया है कि ऐसे कई चरण हैं जिसमें समय लगता है और शिड्यूल का उद्देश्य शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत करने के समय में एकरूपता लाना है।

74. ***पूनैया रामजयम विज्ञान संस्थान और प्रौद्योगिकी न्यास*** (पूर्वोक्त) ने समय-सीमा बीत जाने के कारण यह नोट किया कि किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

75. ***आकाश एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट*** (पूर्वोक्त) के मामले में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया है और उच्च न्यायालय के एक निर्णय जिसमें प्रत्यर्थी-संस्थान के निरीक्षण के निर्देश को अपास्त कर दिया गया था क्योंकि यह विलंबित स्तर पर और विनियम, 1999 के प्रावधानों के खिलाफ पाया गया था। इन निर्देशों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***प्रिया गुप्ता*** (पूर्वोक्त) और ***रॉयल मेडिकल ट्रस्ट*** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्धारित कानून का उल्लंघन भी पाया गया।

76. ***वी.एन. पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट*** (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित शिड्यूल सभी संबंधित पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय इससे आगे नहीं जा सकता है और शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए

निरीक्षण करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं.16 इस प्रकार है:-

> ***16.*** *उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का परीक्षण किया जाना है और उपरोक्त अधिकारियों के निहाई पर निर्णय लिया जाना है। अनुमोदन के लिए आवेदन अनिवार्यता प्रमाण पत्र के साथ दायर किया गया था जो सशर्त था और इसलिए, दोषपूर्ण था। यह कानून में अनिवार्यता प्रमाण पत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय निरीक्षण के उद्देश्य से आवेदन पर विचार करने का निर्देश नहीं दे सकता था। इस तरह का निर्देश, हम निपटाने के लिए तैयार हैं, एजुकेयर चैरिटेबल ट्रस्ट6 और रॉयल मेडिकल ट्रस्ट में निर्धारित कानून के विपरीत है। हम आगे यह बता सकते हैं कि आवेदन की तारीख को, अनिवार्यता प्रमाण पत्र क्रम में नहीं था। एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित शिड्यूल, जिसे इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी है। एम.सी.आई. इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। उच्च न्यायालय इससे आगे नहीं जा सकता था और शैक्षणिक वर्ष 2016-2017 के लिए निरीक्षण करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता था। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश और खण्ड पीठ द्वारा इसकी पुष्टि पूरी तरह से अस्थिर है।*

77. ***आशीष रंजन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** के मामले में भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना/अनुमति के नवीनीकरण और केंद्र सरकार और एम.सी.आई. द्वारा आवेदनों पर कार्रवाई करने तथा विभिन्न अन्य शिड्युलों के लिए कार्रवाई के चरणों पर ध्यान दिया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं.3 और 4 द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"3. रिट याचिका में की गई प्रार्थना के संबंध में, कुछ भी निर्णय लिया जाना बाकी नहीं है। आज पारित आदेश को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा जाए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी हितधारक अनुसूची का अक्षरश: पालन करें और किसी भी तरह का विचलन न करें। कहने की जरूरत नहीं है कि ए.आई.एम.एस. और पी.जी.आई. (जुलाई में आयोजित परीक्षा के लिए) भी शिड्यूल का अक्षरशः पालन करेंगे।

4. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा स्नातकोतर चिकित्सा शिक्षा परीक्षा के परिणाम की घोषणा के संबंध में समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उक्त बोर्ड द्वारा परिणाम 10 फरवरी तक घोषित किया जा सकता है, लेकिन काउंसलिंग शिड्यूल में निर्धारित समय तक अवश्य आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि काउंसलिंग की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है और तमिलनाडु राज्य में प्राकृतिक आपदा आई है। तदनुसार, हम समय बढ़ाते हैं।"

78. ***के.पी.सी. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल*** (पूर्वोक्त) के मामले में भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोट किया है कि जब शैक्षणिक वर्ष के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में था, तो उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमति देने के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है।

79. इसी प्रकार ***एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय की ***हिमांक गोयल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, आशीष रंजन*** (पूर्वोक्त), ***प्रिया गुप्ता*** (पूर्वोक्त) और **मृदुल धर** (पूर्वोक्त) में पूर्व उदघोषित हैं, यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि सीटें खाली पड़ी हैं, रिक्तियों को भरने के लिए समय बढ़ाने और आगे अवसर देने का आधार नहीं है। शिड्यूल का पालन

किया जाना चाहिए। यदि कोई अनुमति दी जाती है, तो वह शिड्यूल का उल्लंघन करेगी और भानुमती का पिटारा खुल जाएगा और समय-सीमा तय करने और व्यवस्था निर्धारित करने का पूरा उद्देश्य जो समय-सीमा का सख्ती से पालन करना है, विफल हो जाएगा।

80. ***एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया*** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय का पैराग्राफ सं.6 निम्नानुसार है:-

> *6. इस मामले में याचिकाकर्ता किसी भी विशिष्ट कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा सामना की जाने वाली किसी विशेष कठिनाई के कारण नहीं, बल्कि आम तौर पर इस आधार पर समय का सामान्य विस्तार चाहते हैं कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं। कहा जा रहा है कि 1000 से अधिक सीटें खाली पड़ी हैं। यू.ओ.आई. द्वारा दायर शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि जहां तक मानद विश्वविद्यालयों का संबंध है, 603 सीटें खाली पड़ी हैं। हालांकि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि खाली पड़ी 603 सीटों में से केवल 31 नैदानिक विषयों में हैं और बहुत अधिक (572) यानी लगभग 95 प्रतिशत सीटें गैर-नैदानिक विषयों में खाली हैं। शेष 400-500 सीटों के संबंध में क्या स्थिति है, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। हालाँकि यह न्यायालय इस तथ्य पर न्यायिक नोटिस ले सकता है कि हर साल बड़ी संख्या में गैर-नैदानिक सीटें खाली रहती हैं क्योंकि कई स्नातक डॉक्टर गैर-नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर नहीं करना चाहते हैं। केवल इसलिए कि सीटें खाली पड़ी हैं, हमारे विचार में, समय बढ़ाने और खाली सीटों को भरने के लिए और अवसर देने का आधार नहीं है। शिड्यूल का पालन किया जाना चाहिए। यदि हम शिड्यूल और स्वीकृति के विस्तार के उल्लंघन की अनुमति देते हैं, तो हम एक भानुमति का पिटारा खोलेंगे और समय-सीमा तय करने और व्यवस्था निर्धारित करने का सम्पूर्ण उद्देश्य जो समय-सीमा का सख्ती से पालन करता है, विफल हो जाएगा।*

81. ***अम्मा चंद्रावती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट*** (पूर्वोक्त) में इस अदालत ने नोट किया है कि त्रुटिपूर्ण दस्तावेज बाद में याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए थे, और इसलिए, उन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार करने का निर्देश दिया गया था और इस तरह का उपाय अस्वीकार्य पाया गया था। उक्त मामले में इस अदालत की खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि कोई प्रतिस्पर्धी दावे नहीं थे, आवेदन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि के बाद अधूरे आवेदनों पर विचार करने का परिणाम होगा किसी विशेष व्यक्ति को लाभ प्रदान करना, जबकि समान रूप से स्थित व्यक्तियों को इससे वंचित किया गया है। इस तरह का अवलोकन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि अंतिम तिथि के बाद, यदि किसी भी विचार की अनुमति दी जाती है, तो कई अन्य लोग किसी न किसी बहाने से इसका दावा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार करने के निर्देशों को इस अदालत की खण्ड पीठ ने भी अपास्त कर दिया था।

82. उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 30, 37, 38, 40, 41 और 42 निम्नानुसार है:-

> *"30. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामलों में, कोई प्रतिस्पर्धी दावे शामिल नहीं हैं, हालांकि, यदि यह ज्ञात होता कि आवेदन दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भी दस्तावेजों को जमा करने की अनुमति है, तो इसी तरह अन्य भी अनिवार्य दस्तावेजों को संलग्न किए बिना आवेदन कर सकते थे। इसलिए, हम एम.सी.आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रस्तुति में वास्तविकता पाते हैं कि*

एम.सी.आई. अधिनियम की धारा 10क के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि (31.08.2014) तक अधूरे आवेदनों पर विचार करने के परिणामस्वरूप कुछ को लाभ दिया जाएगा, जबकि इसी तरह की स्थिति वाले अन्य लोगों को इससे वंचित कर दिया गया है।

37. एम.सी.आई. अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार योजना/आवेदन को परिषद की सिफारिशों के लिए केवल तभी भेजना अनिवार्य है जहां योजना/आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो। इसके अलावा, विनियम स्वयं प्रदान करते हैं कि एम.सी.आई. अधिनियम की धारा 10क के तहत अनुमति मांगने वाले आवेदन के साथ प्रश्नगत दस्तावेज यानी अनिवार्यता प्रमाण पत्र और संबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए, यह माना गया है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन उनके जमा करने की तारीख तक और यहां तक कि 31.08.2014, यानी केंद्र सरकार द्वारा आवेदनों की प्राप्ति के लिए शिड्यूल के तहत निर्धारित अंतिम तिथि तक भी अधूरे थे।

38. एम.सी.आई. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनिवार्य प्रावधानों के आलोक में, यह नहीं माना जा सकता है कि केंद्र सरकार आवेदकों को अपूर्ण दस्तावेजों को जमा करने का अवसर देने के लिए बाध्य है और उक्त उद्देश्य के लिए धारा 10क (2) के तहत आवेदनों पर विचार अंतिम तिथि तक लंबित रखा जाएगा, अर्थात्, 30.09.2014 तक। इस तरह की व्याख्या निस्संदेह समय-सीमा को अव्यवहार्य और अव्यवहारिक बना देगी।

40. जैसा कि ऊपर देखा गया है, एकल न्यायाधीश ने अपील के तहत आदेश में निर्देश दिया कि केंद्र सरकार अब याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को एम.सी.आई. को भेजेगी और एम.सी.आई. उस पर विचार करेगा और उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें करेगा। यह इंगित किया जा सकता है कि हालांकि रिट याचिकाएँ नवंबर, 2014 में दायर की गई थीं, जिसका निपटान अब किया जा सका और अपील के तहत आदेश वैधानिक अनुसूची के अंत में 08.04.2015 को पारित किया गया था। केवल दो कदम, यानी एम.सी.आई. की अनुमति पत्र के लिए सिफारिश जो 15.06.2015 को या उससे पहले की जानी है और केंद्र सरकार द्वारा

15.07.2015 से पहले अनुमति पत्र जारी करना आज के शिड्यूल के तहत है। योजना में प्रस्तावित सुविधाओं की पर्याप्तता की जांच के लिए उचित निरीक्षण करने के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों के लिए निर्धारित समय बहुत पहले 31.12.2014 को ही समाप्त हो गया था।

41. एम.सी.आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, **केरल राज्य बनाम टी.पी. रोशना,** *(1979) एस.सी.सी. 580,* ***एम.सी.आई.*** **बनाम कर्नाटक राज्य***, (1998) 6 एस.सी.सी. 131 और* **डॉ. प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** *(1999) 7 एस.सी.सी. 120 पर भरोसा किया और चिकित्सा शिक्षा के उच्चतम मानकों के अनुरक्षण के महत्व पर जोर दिया और यह सुनिश्चित करना एम.सी.आई. की जिम्मेदारी है कि प्रस्तावित संस्थानों द्वारा सभी मामलों में मानकों को पूरा किया जाए, प्रस्तुत किया गया कि आशय पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करना एक समय लगने वाली प्रक्रिया है। विद्वान अधिवक्ता इंगित किए कि वैधानिक अनुसूची के तहत भी एम.सी.आई. को अपनी सिफारिशें करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।*

42. यह सच हो सकता है कि हमारे देश में अतिरिक्त चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है और यदि शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाए गए बुनियादी ढांचे और किए गए निवेश का एक वर्ष तक उपयोग नहीं हो जाएगा। हालाँकि, हमारे सुविचारित राय में, यह इस स्तर पर उनके आवेदनों पर विचार करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित शिड्यूल के अंत में निर्देश जारी करने का आधार नहीं हो सकता है। वास्तव में, शैक्षणिक वर्ष 2016-17 का शिड्यूल भी 01.08.2015 से शुरू होने वाला है। ऐसा होने के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कार्यान्वयन व्यवस्था द्वारा स्थापित समय-सीमा से बहुत पीछे है, अव्यवहारिक है और किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

83. एक अन्य निर्णय में, ***मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज*** (पूर्वोक्त) के मामले में, इस अदालत की खण्ड पीठ ने नोट किया है कि प्रत्यर्थी-संस्थान की ओर से

अनुमति देने के लिए आवेदन करने में देरी की व्याख्या नहीं की गई थी। संस्थान की गलती पाई गई थी, इसलिए इस अदालत की खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि संस्थान की चूक के कारण एम.सी.आई. को असुविधा नहीं होनी चाहिए। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं. 25 और 27 निम्नानुसार है:-

> ***25.*** *हम अपीलकर्ता एम.सी.आई. से सहमत हैं, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी सं.1 एम.एम.सी. ने तत्परता से कार्य नहीं किया है। प्रत्यर्थी सं.1 एम.एम.सी. को 11 अप्रैल, 2014 को ही पता था कि अपीलकर्ता एम.सी.आई. ने शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए अपने आवेदन/योजना को अस्वीकार करने की सिफारिश की थी। वहां से प्रत्यर्थी सं.1 एम.एम.सी. यथोचित रूप से आश्वस्त हो सकता था कि केंद्र सरकार भी उक्त सिफारिश को स्वीकार करेगी। हालांकि,* प्रत्यर्थी *सं.1 एम.एम.सी. ने अपीलकर्ता एम.सी.आई. की उक्त सिफारिश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए 30 अप्रैल, 2014 के निर्धारित समय के भीतर पर्याप्त सावधानी से आवेदन नहीं किया। इतना ही नहीं, जब उक्त रिट याचिकाओं को 2 मई, 2014 को खारिज कर दिया गया था, तब भी वर्ष 2015-16 के लिए आवेदन/योजना दायर करने के लिए उच्चतम न्यायालय से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसमें तब तक केवल कुछ ही दिनों की देरी हुई थी। इतना ही नहीं, 15 मई, 2014 को केंद्र सरकार द्वारा अपीलकर्ता एम.सी.आई. की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद भी* प्रत्यर्थी *सं.1 एम.एम.सी. ने इसे स्वीकार कर लिया और इसे चुनौती नहीं दी। इसके बाद इसने शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए अपने आवेदन/योजना की स्वीकृति के लिए उच्चतम न्यायालय में लगातार रिट याचिकाएं दायर कीं। प्रत्यर्थी सं.1 एम.एम.सी. ने इस अदालत में आने से पहले मामले को और छह महीने के लिए खींच लिया। प्रत्यर्थी सं.1 एम.एम.सी. की ओर से उक्त देरी को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया गया। प्रत्यर्थी सं.1 एम.एम.सी. की गलती*

होने के कारण, हम प्रत्यर्थी सं.1 एम.एम.सी. के चूक के लिए अपीलकर्ता एम.सी.आई. को असुविधा में डालने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

27. समय-सीमा को विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है, इसकी पवित्रता है और केवल प्रत्यर्थी सं.1 एम.एम.सी. के पूछने पर इसे बाधित नहीं किया जा सकता है विशेष रूप से तब जबकि प्रतिवादी प्रत्यर्थी सं.1 एम.एम.सी. स्वयं अंतिम तिथि से चूकने के लिए दोषी है और यह पाया गया है कि उसने अपीलकर्ता एम.सी.आई. के पीछे इस अदालत से तारीख बढ़ाने का आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया था।

[जोर दिया गया]

84. उक्त मामले में भी, रिट याचिका की अनुमति देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्देशों को अपास्त कर दिया गया, जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना को खारिज कर दिया गया था और अंतिम तिथि बीत जाने के बाद जमा किए जाने के आधार पर सीटों में वृद्धि की योजना को खारिज कर दिया गया।

85. ***चेट्टीनाड अस्पताल और अनुसंधान संस्थान*** (पूर्वोक्त) के मामले में इस अदालत की खण्ड पीठ ने भी इसी तरह का विचार दिया था। इसमें यह पाया गया कि उस मामले में कमियों के कारण आवेदन स्वीकार नहीं करने के तथ्य ***पूनैया रामजयम विज्ञान संस्थान प्रौद्योगिकी न्यास*** (पूर्वोक्त), के मामले से निकटता से संबंधित थे और तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त कर दिया गया था। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं.35 इस प्रकार है:-

35. केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान आधिकारिक फाइल पेश की। यह बताता है कि उसके और एम.सी.आई. के बीच काफी पत्राचार हुआ है, जिसमें एम.सी.आई. को बताया गया था कि एक दोषपूर्ण सी.ओ.ए. या

अनिवार्यता प्रमाण पत्र को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और सैद्धांतिक रूप से, ***रॉयल मेडिकल ट्रस्ट*** *में निर्णय को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों को दोषपूर्ण या अधूरा नहीं माना जाना चाहिए। इस अदालत की राय है कि इस मामले की परिस्थितियों में, इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पिछले वर्ष (2017-18) के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया गया* ***क्योंकि निरीक्षण के दौरान प्रवेश में वृद्धि के लिए आवेदन के परिणामस्वरूप कमियाँ पायी गईं।*** *बाद की समीक्षाओं (अनुपालन सत्यापन) ने चेट्टीनाड को पाए गए दोषों से राहत नहीं दी। इन परिस्थितियों में, एम.सी.आई. का यह कहना उचित था कि 11.09.2017 को किए गए आवेदन काफी देरी से हुई थी और इसलिए इसे अस्वीकार करना पड़ा। इस मामले के तथ्य, इस अदालत की राय में,* ***पूनैया रामजयम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट बनाम भारतीय चिकित्सा परिषद*** *[(2015) 10 एस.सी.सी. 83 से निकटता से मेल खाते हैं जहां अनिवार्यता प्रमाणपत्र और सी.ओ.ए. योजना के साथ जमा नहीं किए गए थे और अंतिम तिथि के 10 दिन बाद जमा किए गए थे। अदालत ने एम.सी.आई. को अधिनियम के तहत निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। एम.सी.आई. द्वारा कई कमियों की सूचना दी गई थी। एम.सी.आई. ने तब मेडिकल कॉलेज विनियम (संशोधन), 2000 की स्थापना के खंड 8(3) (1) (घ) को लागू करने और अस्वीकृति की सिफारिश करने वाले संबंधित कॉलेज के आवेदन को वापस करने का निर्णय लिया। उच्चतम न्यायालय ने दावा की गई राहत नहीं दी। इस अदालत की राय में विद्वान एकल न्यायाधीश, ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि* ***"वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी सं.2 द्वारा प्रत्यर्थी सं.1 के निर्देशों की बार-बार अवज्ञा के कारण निरीक्षण का चरण नहीं आ पाया है। इसलिए, यह मामला वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।"*** *इसी तरह,* ***प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*** *(2012) 7 एस.सी.सी. 433 में निर्णय को फिर से गलत तरीके से प्रतिष्ठित किया गया।*

86. ***उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान*** (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के

संबंध में सीटों में वृद्धि की योजना को मंजूरी देने के लिए आवेदन की अस्वीकृति के मामले पर भी विचार किया है, जिसमें अंतिम तिथि के बाद इसे जमा करने का कारण भी शामिल है। यह न्यायालय उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 1, 2.7 और 10 के संदर्भ में निम्नानुसार है:-

> *1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्र सरकार के दिनांक 15.10.2014 के पत्र (इसके बाद "आक्षेपित आदेश") को चुनौती दी गई है। आक्षेपित आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता सं. 1 -* ***उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान*** *(इसके बाद "याचिकाकर्ता संस्थान") का आवेदन, छह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में सीटों में वृद्धि की योजना को मंजूरी देने और शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से तीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, मुख्य रूप से इन कारणों से खारिज कर दिया गया था कि आवेदन 29.05.2014 को किया गया था, अर्थात्, 30.04.2014 की अंतिम तिथि के बाद और दूसरा, आवेदन के साथ संलग्न संबद्धता की सहमति (इसके बाद "सी.ओ.ए."), शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के लिए मान्य नहीं थी क्योंकि उक्त सी.ओ.ए. शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए था।*
>
> *2.7 आक्षेपित आदेश द्वारा, केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता संस्थान के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सबसे पहले, आवेदन 29.05.2014 को किया गया था, यानी अंतिम तिथि 30.04.2014 के बाद और दूसरा, सी.ओ.ए. वैध नहीं था, क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा जारी और आवेदन के साथ संलग्न किया गया सीओए, शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए मान्य था, न कि शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के लिए।*
>
> *10. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सभी विरोधी तर्कों की जांच करना आवश्यक नहीं है क्योंकि, निर्विवाद रूप से, आवेदनों पर विचार करने के लिए निर्धारित समय-सीमा याचिका की सुनवाई से पहले ही समाप्त हो चुकी थी। फ़िलहाल, अगले शैक्षणिक सत्र, अर्थात्, 2016-17 के लिए अंतिम*

तिथि समाप्त हो गई है। तदनुसार, वर्तमान याचिका और लंबित आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। जुर्माने के बारे में कोई आदेश नहीं है।"

87. ***त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज*** (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें इसी तरह का विवाद शामिल था जहां संबंधित प्राधिकारी द्वारा संबद्धता के लिए सहमति देने के अभाव में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। पैराग्राफ सं. 40 और 41 के संदर्भ में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विनियमों में पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा और उसकी प्रक्रिया, चरण-दर-चरण, नए कॉलेज की स्थापना या एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अंतिम सहमति तक पवित्र और बाध्यकारी है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न तो एम.सी.आई. में जाने के लिए यह खुला था, इसलिए न ही इस अदालत के लिए कोई निर्देश जारी करने के लिए खुला होगा, जो इस तरह के प्रस्थान के बराबर होगा, या यहां तक कि आवश्यक भी होगा। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं. 40 और 41 निम्नानुसार है:

"40. उपरोक्त प्राधिकारियों में उच्चतम न्यायालय से घिरे कानून का आह्वान जोरदार और स्पष्ट है। एक नए महाविद्यालय की स्थापना या एक नए महाविद्यालय की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहमति प्रदान किए जाने तक, चरण-दर-चरण, पूर्ण आवेदन जमा करने और उसके प्रक्रिया के लिए विनियमन में विचार की गई समय-सीमा, पवित्र और बाध्यकारी है। न तो एम.सी.आई. के लिए चले जाने के लिए यह खुला था, और न ही इस न्यायालय के लिए कोई निर्देश जारी करने के लिए यह खुला

होगा, जो इस तरह के चले जाने के बराबर या आवश्यक भी होगा। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप सेठी का उक्त प्राधिकारियों में से कुछ को इस आधार पर अलग करने का प्रयास कि उन मामलों में, समय-सीमा में निर्धारित अंतिम तिथि स्वयं बीत चुकी थी, जो प्रभावित करने में पूरी तरह से विफल रही। यह हो सकता है कि, उन मामलों में, उच्चतम न्यायालय ने उक्त तथ्य को याचिकाकर्ता(ओं) को कोई राहत देने की संभावना को बाधित करने के रूप में भी नोट किया; हालाँकि, जहां तक उपरोक्त प्राधिकारियों की कानून में घोषणा का संबंध है, यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

41. स्पष्ट रूप से, 2000 विनियमों में निर्धारित समय-सीमा बाध्य करती है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के.यू.एच.एस. द्वारा संबद्धता की आवश्यक सहमति के साथ नहीं था, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वह स्थिति अपरिवर्तित रही। बात यहीं खत्म हो जाती है। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी के लिए आवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं था, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता द्वारा बाद की तारीख में संबद्धता की सहमति प्रदान की गई थी, या इसलिए भी कि याचिकाकर्ता की संबद्धता की सहमति प्रदान करने में असमर्थता मूल रूप से याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं थी। इस संबंध में एम.सी.आई. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह की प्रस्तुति में भी दम है कि निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, कई निरीक्षणों से युक्त एक लंबी और समय लेने वाली कवायद के बाद 31 जनवरी, 2019 तक अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो व्यावहारिक रूप से भी असंभव है।"

88. यह सुस्थापित विधि है कि शैक्षणिक मामलों में, रिट अधिकार क्षेत्र के तहत इस न्यायालय की शक्तियों का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए। अदालतों को, आम तौर पर विशेषज्ञ निकायों के विवेक को तब तक आस्थगित करना चाहिए जब तक कि उनके द्वारा की गई कार्रवाइयां मनमाने ढंग से या शासी क़ानून के दायरे से बाहर न हों, या दुर्भावना से प्रेरित न हों। कोई पूर्ण

रोक नहीं है। यह विवेक का नियम है कि अदालतों को शैक्षणिक निकायों के फैसलों को खारिज करने में संकोच करना चाहिए।

89. ***मैसूर विश्वविद्यालय और अन्य बनाम सी. डी. गोविंदा राव और अन्य, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम परितोष भुपेश कुमार सेठ और अन्य, वाई.सी. शिवकुमार और अन्य बनाम बी.एम. विजय शंकर और अन्य, महाराष्ट्र राज्य बनाम विकास साहेबराव राउंडले और अन्य, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम परमिंदर कुमार बंसल और अन्य, भारत संघ और अन्य बनाम आनंद कुमार पांडे और अन्य, सी.बी.एस.ई. और अन्य बनाम पी. सुनील कुमार और अन्य, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश बनाम अभिलाष शिक्षा प्रसार समिति और अन्य, अध्यक्ष, जम्मू और कश्मीर राज्य शिक्षा बोर्ड बनाम फैयाज अहमद मलिक और अन्य, बी.रमनीजिनी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, नसीम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, राजबीर सिंह दलाल (डॉ.) बनाम चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, बी. सी. मैलाराप्पा बनाम डॉ. आर. वेंकटसुब्बैया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद बनाम सुरिंदर कुमार धवन, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बनाम सुरजीत कौर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य बनाम नेहा अनिल बोबडे (गाडेकर) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और अन्य बनाम सौत्रिक सारंगी और अन्य*** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।

90. शिक्षा सभी लोकतंत्र की रीढ़ है और विशेष रूप से एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., एम.डी., एम.टेक., बी.टेक., बी.आर्च, बी.ए.एम.एस., एलएल.बी., एलएल.एम., पीएच.डी., बी.एच.एम.एस., बी. फर्मा., बी.डी. एस. आदि जैसे व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण के स्तर में कोई भी गिरावट अंतत: निम्न-मानक पेशेवरों को पैदा करेगी। यह न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर सामान्य जन के लिए भी हानिकारक होगा।

91. एन.सी.एम., भारतीय दंत परिषद (डी.सी.आई.), भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वी.सी.आई.), भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.), भारतीय विधिज्ञ परिषद (बी.सी.आई.), भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), भारतीय भेषजी परिषद (पी.सी.आई.), भारतीय नर्सिंग परिषद (आई.एन.सी.), राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एन.सी.एच.), वास्तुकला परिषद (सी.ओ.ए.) आदि जैसे सांविधिक निकायों को अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए व्यावहारिक, लचीली और व्यवहार्य प्रक्रिया विकसित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो निश्चित रूप से कार्रवाई में निष्पक्षता, तर्कसंगतता की मूल बातें हैं, मनमानी और अनावश्यक विचार से बचना है।

92. अदालतें नीतिगत निर्णयों के फायदे और नुकसान और उनके प्रभाव की कल्पना करने के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं, अगर इस तरह के निर्णय में हस्तक्षेप

किया जाता है। किसी विशेषज्ञ निकाय के निष्कर्ष को अदालत द्वारा ऐसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को उचित महत्व दिए बिना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आम तौर पर अदालतों के लिए यह विवेकपूर्ण और सुरक्षित होगा कि वे ऐसे निर्णय शिक्षाविदों और विशेषज्ञों पर छोड़ दें। सैद्धांतिक रूप से, न्यायालय को आम तौर पर विशेषज्ञों के फैसलों पर अपील करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। न्यायालय को शैक्षणिक मामले अपनी बाधाओं और सीमाओं को समझना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। (***बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ. एच. एल. रमेश, देखें***)

93. ***के. शेखर बनाम इंदिराम्मा और अन्य*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ सं. 21 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> *"21. हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस. एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इस न्यायालय द्वारा बी.आर. कपूर बनाम भारत संघ [(1989) 3 एस.सी.सी. 387] मामले में इसे पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। यह भी सच है कि आम तौर पर अदालतें शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक रही हैं। लेकिन "कानून के शासन की अवज्ञा का कोई द्वीप नहीं हो सकता है" [जे.पी. कुलश्रेष्ठ (डॉ.) बनाम कुलाधिपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, (1980) 3 एस.सी.सी. 418 : 1980 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 436]। शैक्षणिक संस्थानों के कार्य, हालांकि अत्यधिक प्रतिष्ठित हैं, न्यायिक जांच से अछूती नहीं हैं। वास्तव में, उच्च प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, संस्थान के कार्यों को रंग देने वाले मनमानेपन या बाहरी विचारों की झलक से भी बचने की अधिक आवश्यकता है।*

94. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का क्रियाकलाप पूरी तरह से उक्त प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। एम.ए.आर.बी. में विशेषज्ञ होते हैं। एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के तहत नियामक को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाने के लिए, आवेदनों के आमंत्रण से लेकर अनुमति दिए जाने तक और उसके बाद भी उक्त प्राधिकरण को प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है। किसी भी छूट के परिणामस्वरूप मनमानी और अन्याय हो सकता है। नियामक व्यवस्था से उन सभी क्षेत्रों में गतिविधियों को पूरी तरह से विनियमित और नियंत्रित करने की उम्मीद है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था शुरू की गई है।

95. ***भारतीय दंत परिषद बनाम सुभारती के.के.बी. पूर्त न्यास और अन्य*** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उचित शैक्षिक सुविधाओं और नए महाविद्यालयों को खोलने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि निजी संस्थानों को देश में शैक्षिक "दुकानें" खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन करने के लिए वैधानिक निषेध के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं. 11 और 12 निम्नानुसार है:-

> *"11. इसलिए, यह दोहराया जाना चाहिए कि कानून के अनुसार, ऐसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है, भले ही शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग III में उल्लिखित मूल अधिकार के साथ जोड़ा गया हो। यह भी उतना ही सच है कि जब तक समाज में उचित शैक्षिक सुविधाएं नहीं होंगी,*

तब तक युवा पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल होगा, जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। यह स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए, सरकारी तंत्र या निधि न तो यथेष्ट हैं और न ही पर्याप्त हैं और निजी संस्थानों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, सदियों से हमारी संस्कृति और सभ्यता ने माना है कि शिक्षा समाज के पवित्र दायित्वों में से एक है जिसका निर्वहन "विद्वान" और/या राज्य द्वारा किया जाना है। यह हमारा काम है कि हम अपनी संस्कृति की उस समृद्ध विरासत को, जो शिक्षा को निरंतर प्रदूषण रहित बनाए रखने की है, संरक्षित (वैसा ही) रखें।

हाल के दिनों में, एक धारणा विकसित हुई है कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रबंधन करना धार्मिक और परोपकारी कार्य है। यह न्यायालय उन्नी कृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(1993) 1 एस.सी.सी. 645] (पृष्ठ 751, पैरा 197) में निम्नानुसार कहा:

> *"इस देश में शिक्षा कभी भी व्यापार नहीं रही है। इसे ऐसा बनाना इस राष्ट्र के लोकाचार, परंपरा और संवेदनाओं के खिलाफ है। इसके विपरीत तर्क में अपवित्रता निहित है। इस देश में शिक्षा प्रदान करने को प्राचीन काल से कभी भी व्यापार या व्यवसाय के रूप में नहीं माना गया है। इसे एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में माना गया है। इसे एक धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया है। लेकिन कभी भी व्यापार या व्यवसाय के रूप में नहीं।"*

12. वर्तमान में सामाजिक मूल्यों और परिवेश में जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोग शिक्षा के व्यावसायीकरण में कुछ भी गलत नहीं मानते हैं। फिर भी, निजी संस्थानों को देश में शैक्षणिक "दुकानें" खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, संबंधित प्राधिकारी द्वारा पूर्व अनुमति या अनुमोदन के बिना शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रबंधन करने पर वैधानिक निषेध हैं। कई मौकों पर, संबंधित अधिकारी, विभिन्न कारणों से, वैधानिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों के अनुसार अपने कार्य का निर्वहन करने में विफल रहते हैं। कुछ मामलों में, ऐसे शैक्षणिक

संस्थान स्थापित करने के उत्साह के कारण ऐसे व्यक्ति जिनके पास ऐसा करने का साधन है, अधिकारियों से संपर्क करते हैं, लेकिन लालफीताशाही के कारण या बाहरी कारणों से, ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है या देरी हो जाती है। इसके विपरीत, यह इंगित किया गया है कि धर्मार्थ संस्थानों के बजाय, साधन संपन्न व्यक्ति, बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज सहित तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों को एक व्यावसायिक उद्यम के रूप में स्थापित करते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है और/ या किसी अन्य उद्देश्य के लिए। ऐसे संस्थान अधिनियम या विनियमों के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं और ऐसी संस्थाओं की लगातार बढ़ती मांग के कारण स्थिति का फायदा उठाते हैं। ऐसे मामलों में, अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह या बाहरी विचारों के अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि अदालतों को आम तौर पर चिकित्सा परिषद या दंत परिषद जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा लिए गए निर्णय में सीधे परमादेश जारी करके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसमें प्राधिकरण को ऐसी संस्था स्थापित करने की मंजूरी या अनुमति देने का निर्देश दिया गया हो। जहां प्राधिकरण ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, हो सकता है कि संस्थान शिक्षा प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित न हो और हो सकता है कि उसके पास संस्थान चलाने के लिए आवश्यक योग्य शिक्षक, कर्मचारी या अन्य बुनियादी ढांचा न हो। यदि अदालत सीधे अनुमति दे देती है, तो समाज, शिक्षा और अंततः छात्रों को नुकसान होता है।"

96. ***क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बनाम भारत संघ*** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा प्रणाली पर सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऐसी आवश्यकता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कही गई है कि चिकित्सा के विषय में पारंगत और अपने क्षेत्र में दक्षता रखने वाले डॉक्टरों के लिए समाज को उपयुक्त और योग्य छात्रों की आवश्यकता होती है जिन्हें अच्छी चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रभावी नियमन के लिए तीन

चरणों पर प्रकाश डाला गया। पहला चरण दाखिला लेना है, दूसरा पाठ्यक्रम का निर्धारण और शिक्षा प्रदान करने के तरीके के संबंध में है और तीसरा परीक्षा है।

97. प्रवेश का चरण शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के चरण के साथ जुड़ा हुआ है। बदलते परिदृश्य में, हर स्तर पर, हितधारकों के प्रतिस्पर्धी हित हैं, जिसे केवल विशेषज्ञ निकाय ही, अपनी बुद्धिमत्ता से, समान रूप से संतुलन बना सकते हैं। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं. 187 और 188 निम्नानुसार है:-

> *"187. सबसे पहले मैं चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षा के मानकों के विनियमन के संबंध में उपरोक्त धाराओं के दायरे और अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करता हूं। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि चिकित्सा के विषय में अच्छी तरह से पारंगत और अपने क्षेत्र में प्रवीण डॉक्टरों के लिए, हमारे पास उपयुक्त और योग्य छात्र होने चाहिए जिन्हें अच्छी चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और शिक्षा प्रणाली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि जो छात्र योग्यता के अनुरूप नहीं हैं या शिक्षा के उच्चतम मानक नहीं रखते हैं, उन्हें परीक्षाओं में सफल घोषित नहीं किया जाय।*
>
> *188. उपरोक्त आदर्श को प्राप्त करने के लिए, प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि इसमें तीन अलग-अलग चरणों में प्रभावी नियम होने चाहिए:*
>
> *188.1. (i) पहला चरण मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का प्रवेश का है। चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश वाले छात्रों को उपयुक्त होना चाहिए और उनमें सही योग्यता होनी चाहिए ताकि उन्हें उचित शिक्षा दिए जाने के बाद चिकित्सा पेशे में अच्छी तरह से आकार दिया जा सके।*
>
> *188.2. (ii) दूसरा चरण पाठ्यक्रम का निर्धारण और शिक्षा प्रदान करने के तरीके के संबंध में है और उक्त उद्देश्य के लिए, नियामक अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि छात्रों को उचित चिकित्सा प्रशिक्षण दिया जाए और*

उक्त उद्देश्य के लिए शिक्षण संस्थानों के रूप में पर्याप्त रूप से सुसज्जित अस्पताल होने चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में रोगियों का इलाज किया जाता है ताकि छात्रों को पर्याप्त प्रायोगिक प्रशिक्षण मिल सके जहां रोगियों का इलाज किया जा रहा है।

188.3. (iii) अंत में, सफल छात्रों के रूप में अपनी योग्यता साबित करने के लिए छात्रों को जिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता है, उन्हें भी सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए।

188.4. यदि उपरोक्त तीनों चरणों में से किसी में भी कोई कमी या आभाव है, तो यह शैक्षणिक संस्थानों से चिकित्सक के रूप में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के व्यावसायिक मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जिन पर भारत के नागरिकों द्वारा महत्वपूर्ण क्षणों में भरोसा किया जाता है, जब किसी का जीवन दांव पर होता है। मुझे चिकित्सा क्षेत्र या चिकित्सकों के महत्व के संबंध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को ठीक करने और रोगी को आघात से बचाने या कम करने के लिए, एक प्रशिक्षित और अच्छी तरह से तैयार चिकित्सक अनिवार्य है। ये सभी तथ्य दंत चिकित्सकों पर भी समान रूप से लागू होते हैं और इसलिए, मैं हर बार विशेष रूप से उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं।"

98. माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय की उपरोक्त प्रामाणिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:-

(i) एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित समय-सीमा पवित्र और निर्विवाद है और इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है।

(ii) आवेदन आमंत्रित किए जाने की तारीख से संबंधित कॉलेज में अंतिम क्रियाकलाप तक आंतरिक चरणों सहित सभी संबंधितों

द्वारा समय-सीमा का कड़ाई से और ईमानदारी से पालन किए जाने की आवश्यकता है;

(iii) आंतरिक चरणों को अगले चरण में फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और चरणों के अतिव्यापी की अनुमति नहीं है।

(iv) एन.एम.सी. सहित कोई भी प्राधिकरण, उक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए समय-सीमा को कमजोर या फेरबदल नहीं कर सकता है;

(v) एक सख्त समय-सीमा, विशेष रूप से पेशेवर पाठ्यक्रमों में, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है और मनमानेपन को समाप्त करती है;

(vi) यह सभी संभावित आवेदकों पर भी समान रूप से लागू होता है। इसमें कोई भी कमी या संशोधन परिहार्य भ्रम और मनमानेपन पैदा करेगा जिसके परिणामस्वरूप संभावित आवेदकों के साथ उदासीन व्यवहार हो सकता है।

(vii) किसी विशेष आवेदक के लिए एन.एम.सी. द्वारा एक बार निर्धारित समय-सीमा को भंग करने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।

(viii) केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों के निर्णयों में, आम तौर पर तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे मनमाने ढंग से,

अधिनियम के खिलाफ या अदालत की अंतरात्मा ठेस पहुंचाने वाले न पाए जाएं।

<u>याचिकाकर्ता के मामले का विश्लेषण</u>

99. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अंतिम तिथि की समाप्ति से पहले, आवेदन कागजी प्रति में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए यह तर्क दिया गया कि यह निर्धारित समय के भीतर आवेदन जमा नहीं करने का मामला नहीं है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के मामले पर अलग तरह से विचार किया जाना चाहिए और जब तकनीकी गड़बड़ी के परिणामस्वरूप ट्रैकिंग नंबर जनरेट नहीं हो सका, तो याचिकाकर्ता को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता दिनांक 10.08.2022 को आवेदन की कागजी प्रति जमा करने पर भरोसा किया है।

100. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने/सीटों में वृद्धि करने और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए विचाराधीन पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण के लिए स्नातक एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए दिनांक 18.07.2022 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। दिनांक 18.07.2022 के सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवेदन केवल जी.एस.टी. के साथ निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार्य हैं। दिनांक 18.07.2022 के उक्त सार्वजनिक नोटिस को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की गई है:-

सार्वजनिक नोटिस

स्नातक एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, सीटों में वृद्धि और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए मान्यता के लिए पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण के लिए

21.07.2022 से 10.08.2022 तक

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली का चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड स्नातक एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों और नए चिकित्सा महाविद्यालयों की शुरुआत/सीटों में वृद्धि और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए मान्यता के लिए लंबित पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन आमंत्रित कर रहा है:-

(i) निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यता प्रमाण पत्र।

(ii) निर्धारित प्रारूप में संबद्धता की सहमति (सी.ओ.ए.)।

(iii) अस्पताल का विवरण।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आज की तारीख में वर्तमान स्नातक नियम राजपत्र का पालन करें।

कृपया जी.एस.टी. के साथ निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आवेदन करें।

किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया ईमेल आईडी:ugmarb@nmc.org.in पर संपर्क करें।

[जोर दिया गया] "

101. दिनांक 10.08.2022 के सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से तारीख को 31.08.2022 (शाम 6 बजे तक) तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, ऑनलाइन

पोर्टल द्वारा आवेदन जमा करने की शर्त बरकरार है। व्यापक जनहित में, एम.ए.आर.बी. ने ऑनलाइन पोर्टल को 15.12.2022 से 23.12.2022 तक फिर से खोलने का निर्णय लिया। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शर्त आगे भी बरकरार रही।

102. इस प्रकार यह देखा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल 21.07.2022 से 31.08.2022 के बीच और उसके बाद 15.12.2022 से 23.12.2022 के बीच उपलब्ध था। जाहिर है, याचिकाकर्ता द्वारा कोई भी ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि उसने आवेदन जमा करने की कोशिश की, किसी न किसी कारण से प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसलिए, बहुत सावधानी के साथ, कागजी प्रति में आवेदन 10.08.2022 को जमा किया गया था। जाहिर है कि कोई भी पावती जनित नहीं हुई थी।

103. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक बार जब याचिकाकर्ता को 10.08.2022 को ही एहसास हो गया कि उसका ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार से पूरा नहीं हुआ था और कोई पावती जनित नहीं हुई, तो याचिकाकर्ता को 31.08.2022 को शाम 06:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन को पूरा करने का पर्याप्त अवसर था। याचिकाकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं कि ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने में किसी भी व्यावहारिक कठिनाई को इंगित करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा एम.ए.आर.बी. या किसी अन्य प्राधिकरण से बीच-बीच में कोई पत्राचार

नहीं किया गया है। इसके बजाय, याचिकाकर्ता ने ऑफ़लाइन मोड का सहारा लिया है, जिसकी परिकल्पना सार्वजनिक नोटिस के तहत नहीं की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पहला मेल 24.02.2023 को भेजा गया था, उसके बाद अन्य मेल भेजे गए थे।

104. इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि याचिकाकर्ता ने 15.12.2022 से 23.12.2022 के बीच ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस प्रकार यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता की वास्तविकता संदिग्ध है। याचिकाकर्ता इस संबंध में अपनी निष्क्रियता को उचित नहीं ठहरा पाया है। किसी ने भी उसे अपने ऑनलाइन आवेदन की कागजी प्रति स्वीकार करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ तुरंत इस अदालत में जाने से नहीं रोका। कोई भी पक्षकार जिसने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है और उसमें करोड़ों रुपये का निवेश किया है, उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह इस महत्वपूर्ण पहलू को इतने हल्के में लेगी इस तरह के विलंबित चरण में राहत के लिए आएगी।

105. यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उसे यह एहसास नहीं था कि तथाकथित तकनीकी गड़बड़ी ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई थी। याचिकाकर्ता जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक संस्थान चलाने का इरादा रखता है, उससे सार्वजनिक नोटिस और प्रासंगिक नियमों की अनदेखी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता के स्वयं के प्रदर्शन के अनुसार कि

वह शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया खिलाड़ी नहीं है। याचिकाकर्ता एक विश्वविद्यालय है जिसमें कुल 12 कॉलेज हैं जो 20 स्नातक पाठ्यक्रम और 20 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न अन्य पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिसमें कुल 3000 से अधिक छात्र शामिल हैं।

106. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका के पैराग्राफ सं. 7 और 8 में में दिए गए प्रकथन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि 09.08.2022 तक कोई पावती प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए, याचिकाकर्ता ने 10.08.2022 को आवेदन की कागजी प्रति जमा करना पसंद किया। वर्तमान रिट याचिका का पैराग्राफ सं. 7 और 8 निम्नानुसार है:-

> *"7. यह तथ्य वर्तमान मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह आसानी से समझ में आता है कि 06.08.2022 को 14:47 बजे से पहले ही आवेदन जमा कर दिया था और उसे ऑनलाइन डेटाबेस में डाला गया था और उसके बाद ही स्थिति "प्रगति पर है" के रूप में दिखाई गई थी।*
>
> *8. कि, याचिकाकर्ता 06.08.2022 को जमा किए गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति की निगरानी 09.08.2022 तक करता रहा और उसकी पावती की प्रतीक्षा करता रहा। हालाँकि, कोई पावती प्राप्त करने में विफल रहने और 10.08.2022 को समय-सीमा यानी आवेदन प्रक्रिया बंद होने की तिथि का सामना करने के बाद, याचिकाकर्ता-विश्वविद्यालय ने 06.08.2022 को पहले से ही ऑनलाइन जमा किए गए उसी आवेदन पत्र की एक कागजी प्रति जमा की। प्रत्यर्थी के समय के भीतर इस कागजी प्रति को प्राप्त करने के तथ्य पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रत्यर्थी की प्राप्ति को दर्शाता है।"*

107. ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट के कामकाज के संबंध में एन.एम.सी. द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज इंगित करते हैं कि आधिकारिक पोर्टल पर शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एक अलग कॉलम है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सूचना पत्रक न केवल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदन केवल ऑनलाइन द्वारा ही आमंत्रित किए जाते हैं, बल्कि यह स्पष्ट रूप से बताता है कि एन.एम.सी. द्वारा कोई ऑफ़लाइन (कागजी प्रति) आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोट संख्या 13 में विशेष रूप से कहा गया है कि आवेदन को केवल तभी प्रस्तुत माना जाएगा जब आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन के लिए एक आवेदन संख्या और संलग्नक के रूप में अपने आवेदन पत्र की पीडीएफ के साथ पावती ईमेल प्राप्त होगी। जाहिर है, याचिकाकर्ता को कोई पावती प्राप्त नहीं हुआ, और इसलिए, केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने शुल्क का भुगतान किया है, उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

108. शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए एक नया महाविद्यालय स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सूचना पत्रक निम्नानुसार है:-

> ***<u>"शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सूचना पत्रक</u>***
>
> *सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन जमा करने से पहले इस पत्रक में निहित जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।*
>
> *महत्वपूर्ण*

1. शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएँगे - जिसमें संलग्नक और शुल्क शामिल हैं - आयोग द्वारा कोई ऑफ़लाइन (कागजी प्रति) स्वीकार नहीं की जाएगी।

2. शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सभी आवेदन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद के मेडिकल कॉलेज स्थापना विनियम, 1999 में संशोधन और एम.सी. के वार्षिक एम.बी.बी.एस. प्रवेश विनियम, 2020 के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार होंगे (सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन जमा करने से पहले एन.सी. वेबसाइट पर नियम और विनियम, एन.एम.सी. के तहत उपलब्ध इन विनियमों को पढ़ें)

3. सभी आवेदकों को यह सुनिश्चित करना है कि वे इन संशोधित विनियमों में उल्लिखित पात्रता और योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. *सभी आवेदकों को पहले पंजीकरण पृष्ठ पर जाकर नीचे दिए गए आइकन पर क्लिक करके पंजीकरण पृष्ठ पर आगे बढ़ने के लिए यहां क्लिक करना होगा।*
2. *पंजीकरण प्रपत्र भरने के बाद, आपको अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर वन-टाइम पासवर्ड के साथ अपने लॉगिन प्रामाणिकताएं प्राप्त होंगे, जबकि साइन इन करने पर आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा जाएगा।*
3. *ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए, आप अपने विवरण में अपने नए पासवर्ड के साथ साइन इन करें और "आवेदन शुरू करें-नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" आइकन पर क्लिक करें।*
4. *ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र खुलता है। आवेदन पत्र प्रारूप की जांच करने के लिए कृपया नीचे क्लिक करें (आवेदन प्रपत्र प्रारूप और आवश्यक जानकारी) https//www.nmc.org.in/wp-content/uploads/2021/UG/LOP/AP 2022-23 docx*

5. आवेदक का विवरण

मद 1 से 6 के लिए आवश्यक जानकारी भरें।

क. मद 4 के लिए - संविधान- उपनियमों/ज्ञापनों और संस्था के अंतर्नियम/न्यास विलेख की प्रमाणित प्रति भी अपलोड करनी होगी।

ख. मद-5 के लिए पंजीकरण/निगमन- पंजीकरण/निगमन के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति भी अपलोड करनी होगी।

ग. मद 6-संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम- संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता की सहमति की प्रमाणित प्रति भी अपलोड करनी होगी।

संबद्धता की सहमति के प्रारूप के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

https://www.nms.org.in/w content/uploads/2021/1/G/10P/CA2022-23 docx)

6. भाग I

क. मद 7 के लिए आवश्यक जानकारी भरें

ख. मद 8-10 के लिए आवश्यकतानुसार अलग से आवश्यक जानकारी अपलोड करें

ग. मद 10 के लिए- वित्तीय क्षमता - यह भी अपलोड करने की आवश्यकता है (i) पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित तुलनपत्र की प्रमाणित प्रति और (क) आवेदक के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में स्वतंत्र जाँच करने के लिए एम.सी. को प्राधिकृत करते हुए आवेदक के बैंकर को संबोधित प्राधिकार पत्र

7. भाग II

क. मद 11 के लिए आवश्यक जानकारी भरें

ख. मद 12-25 के लिए आवश्यकतानुसार अलग से आवश्यक जानकारी अपलोड करें

ग. मद 11 के लिए - प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नाम और पता - (i) संबंधित राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण पत्र और (i) भूमि के उपयोग के संबंध में राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र के प्रारूप के लिए यहां क्लिक करें thttes://www.amc.orgin/wp.content/uploads/2021/UG/_OP/EC 2023-24 new 26082021.pdn

(भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के लिए यहां क्लिक करें Chttps://wwww.ame.orgin Ayp-content/uploads/2021/UG/.OP/LU2022.23 new 26082021..dh

घ. मद 13- निर्माण-स्थान की विशेषताओं के लिए - यह भी अपलोड करने की आवश्यकता है (i) स्वामित्व के प्रमाण के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के स्वामित्व विलेखों की प्रमाणित प्रति और (ii) उपलब्ध निर्माण-स्थान की ज़ोनिंग योजनाओं की प्रमाणित प्रति जो उनके भूमि उपयोग को दर्शाती है।

भाग-III

क. मद 26 के लिए आवश्यक जानकारी भरें। यहां मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण भी अपलोड करना होगा।

ख. मद 26-41 के लिए आवश्यकतानुसार अलग से आवश्यक जानकारी अपलोड करें।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना/दस्तावेजों की शुद्धता का स्व-सत्यापन (उक्त प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए)

10. शुल्क: आवेदन के लिए आवश्यक अप्रतिदेय शुल्क योग्य नीचे दी गई है।

क. रु.4,13,000 (जी.एस.टी. सहित) सरकारी कॉलेजों (केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के तहत) के लिए

ख. रु.8,26,000 (जी.एस.टी. सहित)निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के लिए

भुगतान का तरीका

(i) PayU: आप ड्रॉपडाउन मेन्यू से " PayU" विकल्प का चयन करके ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यह आपको भुगतान गेटवे विंडो पर पुनर्निर्देशित करेगा जहाँ आप अपने क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का उपयोग करके या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। आप यू.पी.आई. का उपयोग करके भी भुगतान कर सकते हैं।

(II) एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस.: एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. लेनदेन के मामले में, कृपया नेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण के समय लाभार्थी के रूप में नीचे दिए गए बैंक विवरण जोड़ें।

1. माँग प्राधिकारी का नाम : सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

2. कार्यालय का नाम और पता : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077

3. बैंक खाता सं. : 90682160000025
4. बैंक खाते का प्रकार : बचत बैंक खाता

5. बैंक का नाम : केनरा बैंक

6. बैंक शाखा का नाम और पता : सेक्टर-12ए, द्वारका शाखा, नई दिल्ली-110078।

7. एम.आई.सी.आर. सं. : 11025152

8. आई.एफ.एस.सी. कोड : CNRB0019109

9. केनरा बैंक का ईमेल : cb19109@canarabank.dot.com

मेल करें: co19109@canarabank.com)

10. खाता अनुभाग का ईमेल: accountsatnmc.org.in

मेल करें: accounts@nmc.org.in)

11. डेटा को सेव किया जा सकता है और किसी अन्य समय पर पूरा किया जा सकता है।

12. जमा करने के लिए, सबमिट आवेदन आइकन पर क्लिक करें। यदि सभी फ़ील्ड नहीं भरे गए हैं या आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड नहीं किए गए हैं, तो सिस्टम आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं देगा।

13. कृपया ध्यान दें:- आपका आवेदन केवल तभी जमा हुआ माना जाएगा जब आपको अपने ऑनलाइन आवेदन के लिए एक आवेदन संख्या और संलग्नक के रूप में अपने आवेदन पत्र के पीडीएफ के साथ पावती ईमेल प्राप्त हुआ हो।

नोट: पंजीकरण प्रमाण पत्र और सोसायटी, न्यास या कंपनी की विलेख प्रति के साथ एक पूर्ण आवेदन। इसके आलावा आवश्यक प्रमाणपत्र (ई.जी.) संबद्धता की सहमति (सी.ओ.ए.), 330 बिस्तरों वाला मौजूदा अस्पताल और जमीन भी होनी चाहिए। मौजूदा अस्पताल भवन निर्माण योजनाओं और भूमि के कानूनी दस्तावेजों के साथ स्वामित्व में काम कर रहे हो और या अस्पताल प्रबंधन के साथ 33 वर्षों के लिए सहमति-पत्र हो। वित्तीय क्षमताओं को पिछले 03 वर्षों की वित्तीय रिपोर्ट आईटीआर भूमि, घोषणा के द्वारा दर्शाया जाएगा।

जी.एस.टी. के साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, यदि शुल्क का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, तो आवेदन को प्रक्रमित नहीं किया जाएगा और अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा। किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए भुगतान किए गए शुल्क को आगे नहीं ले जाया जा सकता है / दूसरे पाठ्यक्रम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और इसे वापस भी नहीं किया जा सकता है।

जिन महाविद्यालयों ने पिछले वर्षों में नए महाविद्यालय शुरू करने के लिए आवेदन किया था और जिसके न्यायालय में मामले लंबित हैं, वे

एन.एम.सी. को सूचित करेंगे। वे आवेदन के साथ अंतिम निर्णय की प्रति पेश करेंगे।"

[जोर दिया गया]

109. याचिकाकर्ता द्वारा बनाए गए लॉगिन आईडी के संबंध में एन.एम.सी. के पोर्टल पर एक गतिविधि लॉग आगे इंगित करता है कि 06.08.2022 को, याचिकाकर्ता ने लगभग 14.47 बजे अपनी गतिविधि शुरू की और उसने 06.08.2022 को 15.09 बजे तक गतिविधि जारी रखी। यह देखा गया है कि इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा बनाए गए लॉगिन पोर्टल में कोई गतिविधि नहीं हुई है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने केवल 18.02.2023 को और उसके बाद 08.06.2023 को लॉग इन किया। इस प्रकार यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए विस्तारित समय के दौरान कोई प्रयास नहीं किया गया था।

110. याचिकाकर्ता विनियम सं. 1999 के विनियम 4 और 5 का समर्थन लेने का कोशिश किया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किए कि एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28(2) के संदर्भ में, केवल विनियम जो लागू होते हैं, वे हैं विनियम, 1999 और यदि विनियम कागजी प्रति द्वारा आवेदन जमा करने का प्रावधान करते हैं, तो कागजी प्रति में प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार नहीं करना का प्रत्यर्थी का कार्य अवैध और अनुचित है।

111. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28 (1) और (2) निम्नानुसार है:-

28. (1) कोई भी व्यक्ति चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं करेगा या कोई स्नातकोत्तर, पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा या सीटों की सं. में वृद्धि नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड को ऐसे प्रपत्र में योजना प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें ऐसे विवरण हों, जिसमें ऐसे शुल्क के साथ और ऐसी रीति हो, जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

112. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियम केवल 02.06.2023 को अर्थात विनियम, 2023 बनाए गए हैं और वर्तमान मामले में आवेदन की तारीख विनियम, 2023 के लागू होने से पहले है।

113. विनियम, 1999 के तहत प्रक्रिया यह सुझाती है कि आवेदन केवल सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली) को पंजीकृत डाक द्वारा जमा किए जाने थे। विनियम, 1999 के विनियम 4 और 5 निम्नानुसार हैं:-

4. आवेदन शुल्क: आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011) को विभाग के कॉलेजों (केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के तहत) 3.5 लाख रुपये और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के लिए 7.00 लाख रुपये के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ, मांग ड्राफ्ट भुगतान आदेश भारतीय चिकित्सा परिषद के पक्ष में नई दिल्ली में देय के साथ जमा करना होगा। यह शुल्क पंजीकरण, तकनीकी जांच, आकस्मिक व्यय और पांच निरीक्षणों के लिए है। पाँच निरीक्षणों के अलावा, परिषद द्वारा निर्धारित

सामान्य निरीक्षण शुल्क भी लागू होगा। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवेदन प्राप्त करने और केंद्र सरकार द्वारा आवेदनों को प्रक्रिया करने का शिड्यूल इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में दी गई है।

**भारत के राजपत्र में 29.07.2008 को प्रकाशित अधिसूचना की शर्तों के अनुसार।*

5. पंजीकरण:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा परिषद को भेजे गए आवेदनों को मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए परिषद में पंजीकृत किया जाएगा। आवेदन का पंजीकरण केवल मूल्यांकन के लिए आवेदन की स्वीकृति को दर्शाता है।

अपूर्ण आवेदनों को पंजीकृत नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों में कमियों को बताते हुए संलग्नक और प्रक्रिया शुल्क के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को वापस कर दिया जाएगा। परिषद ऐसे अधूरे आवेदनों को पंजीकृत करेगी। यदि केंद्र सरकार द्वारा मूल्यांकन के लिए ऐसा निर्देश दिया जाता है, लेकिन वह उसके संबंध में केवल एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और कोई सिफारिश नहीं करेगी।

114. आवेदन जमा करने के पूरे तरीके को एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28 विनियम, 1999 के प्रावधानों का स्थान लेती है। एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एम.ए.आर.बी. की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कोई नया मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं करेगा या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा या सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा।

115. जिस प्राधिकरण को आवेदन किए जाने हैं, उसमें भारी बदलाव आया है। इससे पहले आवेदन संबंधित मंत्रालय को किए जाते थे और उसके बाद उन्हें एम.सी.आई. को भेजा जाता था। नई व्यवस्था के तहत, आवेदन सीधे एम.ए.आर.बी. द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। विनियम, 2023 (यद्यपि वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है) में परिकल्पना की गई है कि आवेदन एन.एम.सी. की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल द्वारा या ऐसे माध्यमों से आमंत्रित किए जाने चाहिए जिन्हें विधिवत अधिसूचित किया जा सके।

116. यह रिकॉर्ड की बात है कि विनियम, 2023 के लागू होने से पहले भी पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में मंत्रालय या एम.ए.आर.बी. द्वारा ऑफ़लाइन तरीके से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा था। केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा ही आवेदन स्वीकार करने में निरंतरता रही है।

117. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अधिनियमन को देखते हुए, विनियम, 1999 के विनियम 4 और 5 अव्यवहार्य हो गए हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्हें संविधिक अधिनियम अर्थात एन.एम.सी. अधिनियम, 2019, पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है इसलिए याचिकाकर्ता विनियम, 1999 के विनियम 4 और 5 का कोई लाभ नहीं उठा सकता है।

118. ***भारत संघ बनाम महेंद्र सिंह*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय विज्ञापन में दी गई शर्तों के उल्लंघन के प्रभाव पर विचार कर रहा था, ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार आवेदन पत्र

भरने की एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित हो जाने के बाद, आवेदन पत्र केवल उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए भरे जाने चाहिए। उक्त निर्णय का पैराग्राफ सं. 14 से 17 को निम्नानुसार है:-

> *"**14.** श्री भूषण का यह तर्क कि अलग-अलग भाषा के उपयोग का कोई परिणाम नहीं होता है और इसलिए इसे अनिवार्य नहीं कहा जा सकता है, मान्य नहीं है। चुनी गई भाषा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक है कि जिस उम्मीदवार ने आवेदन पत्र भरा है, केवल वही ईमानदारी बनाए रखने के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित होता है। उत्तर पुस्तिकाएं आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा में होनी चाहिए। यह सुस्थापित है कि यदि आवेदन पत्र भरने की कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो आवेदन पत्र को केवल उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए भरा जाना चाहिए। यह प्रिवी काउंसिल द्वारा नजीर अहमद बनाम राजा-सम्राट में प्रतिपादित किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "जहां किसी विशेष कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, तो वह कार्य उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। कार्य करने के अन्य तरीकों को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया गया है।"*
>
> ***15.** इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:*
>
> *"17.....यह* सुस्थापित *हितकारी सिद्धांत है कि यदि कोई अधिनियम किसी काम को एक विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है, तो उसे उस तरीके से ही किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। (अर्थ के साथ देखें : नजीर अहमद बनाम राजा सम्राट [(1935-36) 63 आइ.ए. 372 : ए.आई.आर. 1936 पी.सी. 253 (2)], राव शिव बहादुर सिंह बनाम वी.पी. राज्य। [ए.आई.आर 1954 एस.सी. 322 : 1954 एससीआर 1098], उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह [ए.आई.आर 1964 एस.सी. 358 : (1964) 1 एस.सी.डब्ल्यू.आर. 57]।) नियमों के तहत चुनाव*

याचिका केवल 16-5-1995 तक 4.15 बजे तक (न्यायालय के काम के घंटे) नियम 6 (पूर्वोक्त) द्वारा निर्धारित तरीके से या तो न्यायाधीश या पीठ को प्रस्तुत की जा सकती थी, जैसा भी मामला हो, समय-सीमा को बचाने के लिए। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया....."

16. *इस न्यायालय ने चेरुकुरी मणि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में उक्त सिद्धांत का पालन किया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:*

"14. जहां कानून किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी विशेष तरीके से करने के लिए निर्धारित किया गया है, वहां यह निर्धारित प्रक्रिया से विचलित हुए बिना कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए उसी तरीके से किया जाएगा... ...."

17. *इसी तरह, बृहन्मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम.) बनाम अभिलाष लाल और ओ.पी.टी.ओ. सर्किट इंडिया लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक के मामले में इस न्यायालय ने उक्त सिद्धांत का पालन किया है। चूंकि विज्ञापन में आवेदन पत्र भरने के तरीके और उत्तर पुस्तिकाओं में प्रयास पर भी विचार किया गया था, इसलिए इसे निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिया गया तर्क कि समय बीतने के कारण, रिट याचिकाकर्ता ने उत्तर पुस्तिका में एक अलग भाषा में प्रयास किया होगा, उचित नहीं है क्योंकि अलग-अलग भाषा का उपयोग स्वयं रिट याचिकाकर्ता को ही न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से वंचित करता है।"*

119. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक नोटिस का विरोध या चुनौती नहीं दी है। याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन तरीके से आवेदन जमा करने का प्रयास किया। यह स्वीकार किया गया कि वह पूरा नहीं हो सका। यह "प्रगति पर" रहा और आवेदन जमा करना असफल रहा।

120. यह तर्क दिया गया कि यदि ऑनलाइन आवेदन के अलावा, कागजी प्रति जमा की जाती है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था। इस तरह का तर्क पूरी तरह से गलत है और किसी भी गुणागुण से रहित है। इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रवेश के संबंध में प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी किए गए सभी नोटिसों और दस्तावेजों में यह स्पष्ट किया गया था कि आवेदन केवल ऑनलाइन तरीके से ही स्वीकार किए जाएंगे। जब प्रत्यर्थीगण का रुख कभी नहीं बदला है, तो यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि याचिकाकर्ता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपवाद बनाया जाए। किसी भी आवेदन को कागजी प्रति में जमा करने की अनुमति देने से गंभीर विसंगतियां पैदा होंगी जो सार्वजनिक नोटिस की पवित्रता और उसमें निर्धारित प्रक्रिया से समझौता होगा।

121. एम.ए.आर.बी. के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल द्वारा 80 आवेदन प्राप्त हुए थे। 80 आवेदनों में से 54 आवेदनों को अनुमति दी गई। ऑफ़लाइन जमा किए गए किसी अन्य आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया।

122. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह इंगित करने की कोशिश की है कि यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, एक बार जब इसकी स्थिति लगातार "प्रगति में" दिखाई गई थी, याचिकाकर्ता की ओर से जानबूझकर उठाया गया कदम हो सकता है। यह इस कारण से हो सकता है कि याचिकाकर्ता को पता था कि दस्तावेज पूर्ण नहीं

थे या बुनियादी ढांचा तैयार नहीं था और इसलिए वह तत्काल निरीक्षण से बचना चाहता था। किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता द्वारा निष्क्रियता के कारणों को, इस स्तर पर, वर्तमान कार्यवाही में जाने या खोदने की आवश्यकता नहीं है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को ऑफ़लाइन आवेदन जमा करने का कोई अधिकार नहीं था और इसलिए, उस पर विचार की कोई बाध्यता नहीं थी।

123. एम.ए.आर.बी. के अनुसार, एक नए संस्थान की स्थापना के लिए किया गया अंतिम निरीक्षण 22.05.2023 को था। सुधारों की अनुमति 22.06.2023 तक दी गई थी। 10.07.2023 के बाद कॉलेज की स्थापना के लिए कोई भी अनुमति पत्र नहीं दिया गया है।

124. यदि, इस स्तर पर, किसी भी निरीक्षण की अनुमति दी जाती है, तो आश्चर्य का तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। विभिन्न संभावित आवेदक हो सकते हैं जिन्होंने आवेदन जमा किया होगा, अगर उन्हें पता होता कि अगस्त, 2023 के महीने में भी आवेदन स्वीकार्य हैं। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि कोई भी निर्देश, इस स्तर पर, निरीक्षण करने के लिए याचिकाकर्ता संस्थान एम.आर.बी. द्वारा निर्धारित समय-सीमा को भंग करेगा।

125. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 04.08.2023 को काउंसलिंग का पहला दौर पूरा हो चुका है। पहले दौर की काउंसलिंग के अनुसार शामिल होने की अंतिम तिथि 08.08.2023 थी। काउंसलिंग का दूसरा दौर 28.08.2023 को

पूरा होता। दूसरे दौर की काउंसलिंग के अनुसार शामिल होने की अंतिम तिथि 04.09.2023 होती।

126. इस विलंबित चरण में निरीक्षण की अनुमति देना पूरी तरह से असमानता होगी। काउंसलिंग के पहले दौर से बहुत पहले की जाने वाली सभी आवश्यक गतिविधियाँ समाप्त हो गई हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों के तहत, काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत पूरी तरह से अनुचित है।

127. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बड़ी संख्या में संभावित आवेदक हो सकते हैं जो आवेदन आमंत्रित करने की अवधि के दौरान एम.ए.आर.बी. की आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं थे क्योंकि उसके पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर पात्रता नहीं थी। याचिकाकर्ता को कोई भी लाभ देना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो हमारे संविधान के तहत मूल अधिकार की रीढ़ है।

128. कई संभावित आवेदकों ने यह मानते हुए आवेदन नहीं किया होगा कि वे विज्ञापन के तहत मानदंडों और मौजूदा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ता, जिसने चतुराई से अपने आवेदन को निलंबित रखा, उसे अन्यायपूर्ण रूप से लाभ होगा।

129. याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.01.2022 के आदेश के साथ भी समानता की कोशिश की है, जिसमें, दूसरी अपील में, भारत सरकार ने सोबन सिंह संस्थान

को नए सिरे से विचार करने और निरीक्षण के बाद उचित कार्रवाई करने और संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए समान परिस्थितियों में सकारण आदेश पारित करने की अनुमति दी है।

130. सबसे पहले, सोबन सिंह संस्थान का मामला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। जैसा कि दिनांक 03.01.2022 के आदेश में कहा गया है, विभिन्न कारकों जैसे कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छूट की अनुमति दी गई थी कि संस्थान पहाड़ी क्षेत्र में चल रहा है। विशिष्ट तथ्यों के तहत सरकारी कॉलेज और निजी विश्वविद्यालय के मामले पर विचार करने के लिए अलग-अलग मापदंड हो सकते हैं। दूसरा, वर्तमान मामले के तहत, ऑफ़लाइन आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं है और एम.ए.आर.बी. के अधिनियम में कोई त्रुटि पाए जाने की अनुपस्थिति में, कोई सकारात्मक निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार दावा की गई समानता कानूनी अधिकारों से आनी चाहिए।

131. यदि उस मामले में प्रत्यर्थी ने गलत कार्रवाई या निर्णय लिया था, तो यह अस्वीकार्य दृष्टिकोण को बनाए रखने का कारण नहीं हो सकता है। एक बार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त हो जाने के बाद, काउंसलिंग का पहला दौर पहले ही समाप्त हो चुका है और नया शैक्षणिक वर्ष शुरू होने की संभावना है, यह न्यायालय उन सभी पहलुओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। इसलिए सोबन सिंह संस्थान के मामले से संबंधित केंद्र सरकार के

फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 अन्यथा भी कोविड-19 महामारी से प्रभावित था। इस वर्ष, स्वीकार किया गया कि 22.05.2023 के बाद कोई निरीक्षण नहीं किया गया है, 22.06.2023 के बाद किसी सुधार की अनुमति नहीं दी गई है।

132. वर्तमान मामले में एम.ए.आर.बी. द्वारा दिनांक 08.05.2023 को पारित निर्णय में कहा गया है कि किसी भी आवेदन के अभाव में, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एम.ए.आर.बी. का दिनांक 08.05.2023 का निर्णय इस प्रकार है:-

> कृपया अध्यक्ष/सदस्य को संबोधित अपने पत्र संख्या *एस.एस.एस.यू.टी.एम.एस./इ.एस.टी.डी./23/125* दिनांक 4 अप्रैल, 2023 संदर्भ लें। *ऊपर उद्धृत विषय पर चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का कहना है कि हालांकि एन.एम.सी. को 8.26.000/- रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जैसा कि आपके द्वारा ऊपर संदर्भित पत्र द्वारा सूचित किया गया है, हालांकि, एनएमसी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉलेज का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आपके द्वारा अनुरोधित किसी भी आवेदन के अभाव में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस मुद्दे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।*

133. प्रथम अपील प्राधिकारी का दिनांक 23.06.2023 का आदेश याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखता है और यह रिकॉर्ड करता है कि

याचिकाकर्ता ने स्वयं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष स्वीकार किया था कि उसे अपना आवेदन जमा करते समय कोई पावती नहीं मिली थी।

134. प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.06.2023 को पारित आदेश निम्नानुसार है:-

प्रथम अपील आदेश

विषय: श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (एस.एस.एस.यू.टी. और एम. एस.), पचामा, सीहोर (मध्य प्रदेश) ने एन.एम.सी. अधिनियम की धारा 28(5) के तहत शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए 150 एम.बी.बी.एस. सीटों के साथ एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एम.ए.आर.बी. की अस्वीकृति के खिलाफ अपील की है।

1. *एन.एम.सी. के अध्यक्ष डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में अपील समिति ने 12:00 बजे श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (एस.एस.एस.यू.टी. और एम.एस.), पचामा, सीहोर (मध्य प्रदेश), अध्यक्ष, यू.जी.एम.ई.बी., सदस्य, यू.जी.एम.ई.बी. की उपरोक्त अपील पर विचार करने के लिए बैठक की। बैठक में सदस्य-I, ई.एम.आर.बी. और सदस्य-II, ई.एम.आर.बी. उपस्थित थे। इसके अलावा, एम.ए.आर.बी. के अध्यक्ष और एम.ए.आर.बी. के सदस्य ने बैठक के दौरान एम.ए.आर.बी. का प्रतिनिधित्व किया।*
2. *श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, पचामा, सीहोर, (मध्य प्रदेश) द्वारा एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28(5) के तहत दिनांक 20.5.2023 को की गई अपील की सुनवाई की गई, जो एम.ए.आर.बी. के दिनांक 08.05.2023 (अनुलग्नक-I) की अस्वीकृति पत्र के खिलाफ किया गया है। प्रो.(डॉ.) मुकेश तिवारी, एस.एस.एस.यू.टी. एवं एम.एस. के वी.सी. और डीन ने अपीलकर्ता की ओर से ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।*

3. एम.ए.आर.बी. ने 08 मई, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय को सूचित किया कि हालांकि एन.एम.सी. को 8,26,000/- रूपये की राशि प्राप्त हुई थी तथापि, एन.एम.सी. पोर्टल पर कॉलेज का कोई आवेदन आवश्यक दस्तावेज के साथ प्राप्त नहीं हुआ था। किसी भी आवेदन की अनुपस्थिति में, आपका शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए
नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4. सुनवाई शुरू करते हुए एन.एम.सी. के अध्यक्ष ने कहा कि एन.एम.सी. पोर्टल पर अंतिम तिथि तक कॉलेज का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए न तो आवेदन और न ही इस अपील पर विचार किया जा सकता है। कॉलेज अगले वर्ष के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकता है। यदि कॉलेज द्वारा जमा की गई राशि की मांग की जाती है तो उसे वापस किया जा सकता है अन्यथा अगले वर्ष के लिए उनके नए आवेदन के लिए इस पर विचार किया जा सकता है। एस.एस.एस.यू.टी. और एम.एस. के वी.सी. और डीन ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अंतिम तिथि के भीतर 6 अगस्त, 2022 को एन.एम.सी. में अपना आवेदन जमा कर दिया है। एन.एम.सी. के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एन.एम.सी. के पोर्टल पर प्राप्त केवल ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाता है। एम.ए.आर.बी. के अध्यक्ष ने एस.एस.एस.यू.टी. एवं एम.एस. के वी.सी. और डीन से यह जानना चाहा कि क्या उन्हें अपना आवेदन जमा करते समय कोई ऑनलाइन पावती मिली है। एस.एस.एस.यू.टी. एवं एम.एस. के वी.सी. और डीन ने पुष्टि की कि उन्हें कोई पावती नहीं मिली है। एन.एम.सी. के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कॉलेज द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की स्थिति में, एक कंप्यूटर जनित पावती स्वचालित रूप से जारी हो जाती है और चूंकि कॉलेज द्वारा कोई आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें कोई कंप्यूटर जनित पावती प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

5. इस मामले पर प्रथम अपील समिति द्वारा चर्चा की गई थी। समिति ने कहा कि एस.एस.एस.यू.टी. और एम.एस. के वी.सी. और डीन ने पुष्टि की कि उन्हें कोई पावती नहीं मिली है इस स्थिति को बढ़ाता है कि कॉलेज ने

एन.एम.सी. पोर्टल पर ऑनलाइन अपना आवेदन जमा नहीं किया है और इसलिए 150 एम.बी.बी.एस. सीटों के साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमोदन के लिए उनकी अपील को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है और कॉलेज सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अगले वर्ष आवेदन कर सकता है। एस.एस.एस.यू.टी. एवं एम.एस. के वी.सी. और डीन ने प्रथम अपील समिति के फैसले को स्वीकार कर लिया। तदनुसार, पहली अपील का निपटान किया जाता है।

5. बैठक का समापन अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ हुआ।"

135. द्वितीय अपील प्राधिकारी ने अपने दिनांक 14.07.2023 के आदेश में याचिकाकर्ता के मामले पर फिर से विचार किया और उक्त आदेश के माध्यम से यह दर्ज किया गया कि प्रणाली में कोई आवेदन आई.डी. जनित नहीं हुई थी और उसी दौरान, एम.ए.आर.बी. द्वारा 80 आवेदन प्राप्त किए गए थे। इस प्रकार द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया है कि किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

136. द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.2023 को पारित आदेश निम्नानुसार है:-

"विषय: श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर, मध्य प्रदेश द्वारा नई मेडिकल कॉलेजकी स्थापना के लिए एन.एम.सी. अधिनियम 2019 की धारा 28(6) के तहत दूसरी अपील को प्राथमिकता दी जा रही है।

1. यह एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 2ख(6) के तहत श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर, मध्य प्रदेश द्वारा एन.एम.सी. के निर्णय के दिनांक 08.05.2023 के एन.एम.सी. के पत्र के खिलाफ दिनांक 24/06/2023 (28/06/2023 को प्राप्त) अपने पत्र के

माध्यम से नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में दूसरी अपील को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में है।

2. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 28 [6] में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

"28 (6) आयोग अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर उप-धारा (5) के तहत प्राप्त अपील पर निर्णय लेगा और यदि आयोग योजना को मंजूरी देता है, तो ऐसा अनुमोदन एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए उप-धारा (1) के तहत अनुमति होगी और यदि आयोग योजना को अस्वीकार करता है, या निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहता है, तो संबंधित व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति की सुचना के तीस दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर केंद्र सरकार को दूसरी अपील कर सकता है।".

3. एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसरण में इस मंत्रालय को प्राथमिकता दी गई दूसरी अपीलों के निपटान के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28 (6) के तहत प्राथमिकता प्राप्त अपीलों के निपटान के लिए समय सीमा प्राप्ति की तारीख से 45 दिन है।

4. नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन जमा न करनाः महाविद्यालय ने सूचित किया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सीहोर, मध्य प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले एन.एम.सी. पोर्टल (ऑनलाइन) के तहत आवश्यक प्रक्रिया शुल्क के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को आवेदन जमा किया गया था। साथ ही, आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की कागजी प्रति एन.एम.सी. कार्यालय को 10-08-2022 को जमा की गई, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण पोर्टल पर आवेदन आई.डी. जनित नहीं हो सका।

5. एम.ए.आर.बी. द्वारा संसूचना: संस्थान से दिनांक 04.04.2023 के अभ्यावेदन के जवाब में एम.ए.आर.बी. ने दिनांक 08.05.2023 को पत्र

जारी किया था, जिसमें निम्नलिखित का हवाला देते हुए 150 एम.बी.बी.एस. सीटों वाले नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था: -

" .. . एन.एम.सी. को 8,26,000/- रुपये की राशि प्राप्त हुई है- जैसा कि आपने ऊपर उल्लिखित पत्र के द्वारा सूचित किया है, हालाँकि, एन.एम.सी. पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉलेज का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आपके अनुरोध को किसी भी आवेदन की अनुपस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

6. एन.एम.सी. द्वारा प्रथम अपील आदेश: जबकि एम.ए.आर.बी. के निर्णय से व्यथित, कॉलेज ने दिनांक 20.05.2023 के अपने पत्र के द्वारा एन.एम.सी. अधिनियम, 2019 की धारा 28(5) के तहत एन.एम.सी. को पहली अपील की और इसे 23.06.2023 के पत्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। एन.एम.सी. की अपील समिति ने निम्नलिखित का हवाला देते हुए कहा:-

" ...अध्यक्ष, एन.एम.सी. ने सुनवाई शुरू करते हुए पाया कि कॉलेज का आवेदन एन.एम.सी. पोर्टल पर अंतिम तिथि तक ऑनलाइन प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए न तो आवेदन पर विचार किया जा सकता है और न ही इस अपील पर। कॉलेज अगले वर्ष के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकता है। यदि कॉलेज द्वारा जमा की गई राशि की मांग की जाती है तो उसे वापस किया जा सकता है अन्यथा अगले वर्ष के लिए उनके नए आवेदन के लिए इस पर विचार किया जा सकता है। एस.एस.एस.यू.टी. और एम.एस. के वी.सी. और डीन ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अंतिम तिथि के भीतर 6 अगस्त, 2022 को एन.एम.सी. में अपना आवेदन जमा कर दिया है। एन.एम.सी. के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एन.एम.सी. के पोर्टल पर प्राप्त केवल ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाता है। एम.ए.आर.बी. के अध्यक्ष ने एस.एस.एस.यू.टी. एवं एम.एस. के वी.सी. और डीन से जानना चाहा कि क्या उन्हें अपना आवेदन जमा करते समय कोई ऑनलाइन पावती मिली है। एस.एस.एस.यू.टी. एवं एम.एस. के वी.सी. और डीन ने पुष्टि की

कि उन्हें कोई पावती नहीं मिली। एन.एम.सी. के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कॉलेज द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की स्थिति में, एक कंप्यूटर जनित पावती स्वचालित रूप से जारी हो जाती है और चूंकि कॉलेज द्वारा कोई आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें कंप्यूटर जनित कोई पावती प्राप्त नहीं हुई और इसलिए उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले पर प्रथम अपील समिति द्वारा चर्चा की गई। समिति ने पाया कि एस.एस.एस.यू.टी. और एम.एस. के वी.सी. और डीन ने पुष्टि की कि उन्हें कोई पावती नहीं मिली, यह इस सम्भावना को बढ़ाती है कि कॉलेज ने एन.एम.सी. पोर्टल पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं किया है और इसलिए 150 एम.बी.बी.एस. सीटों के साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमोदन के लिए उनकी अपील को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है और कॉलेज सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अगले साल आवेदन कर सकता है। एस.एस.एस.यू.टी. और एम.एस. के वी.सी. और डीन ने प्रथम अपील समिति के निर्णय को स्वीकार कर लिया, तदनुसार प्रथम अपील का निपटान किया जाता है..."

7. व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान समिति के तथ्य और अवलोकन-

सीओओ और टीईजी की संयुक्त बैठक में इस मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और दस्तावेजों की जांच के बाद निम्नलिखित पाया गया:-

- *सुनवाई के दौरान कॉलेज के प्रतिनिधियों ने आवेदन पत्र के स्क्रीन शॉट दिखाए और सूचित किया कि आवेदन 06,08,2022 को जमा किया गया था और शुल्क का भुगतान 05.08.2022 को किया गया था। कॉलेज ने बताया कि आवेदन की कागजी प्रति भी 10.08.2022 को जमा की गई थी। कॉलेज ने यह भी बताया कि उन्हें आवेदन जमा किए जाने की कोई पावती नहीं मिली है। उन्हें केवल यह पता चला कि संस्थान द्वारा 04.04.2023 को भेजे गए स्थिति अनुरोध पर दिनांक 08.05.2023 को एम.ए.आर.बी. का जवाब मिला कि आवेदन जमा नहीं किया गया था।*

- *समिति ने एन.एम.सी. के प्रतिनिधि से कॉलेज के आवेदन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। उन्होंने समिति को सूचित किया कि आवेदन की स्थिति का डी.एम.एम.पी. पोर्टल से सत्यापन किया गया था और तदनुसार कॉलेज से कभी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था और न ही सिस्टम में कोई आवेदन आई.डी. जनित हुई थी। यह भी बताया गया कि आवेदनों के लिए विंडो के दौरान नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी के लिए 80 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और उसके लिए आई.डी. जनित हुई और पावती भेजी गई है।*
- *समिति ने पाया कि हालांकि आवेदन की कागजी प्रति जमा करने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कॉलेज ने उसे जमा किया था, शायद इस जानकारी के साथ कि उसके ऑनलाइन जमा करने में कोई त्रुटि थी। समिति ने यह भी नोट किया कि एन.एम.सी. ने प्रथम अपील आदेश में इंगित किया है कि कॉलेज शुल्क-वापसी ले सकता है या अगले वर्ष के आवेदन में इसे समायोजित कर सकता है।*

8. अपीलकर्ता द्वारा दिए गए दस्तावेजों और प्रस्तुतियों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है। केंद्र सरकार ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की उचित जांच के बाद द्वितीय अपील में कोई गुणागुण नहीं पाई और श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

9. तदनुसार, श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर, मध्य प्रदेश को दिनांक 24.06.2023 को दूसरी उपस्थिति से मुक्त किया जाता है।"

137. इस प्रकार यह देखा गया है कि प्रथम अपील प्राधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए गए एम.ए.आर.बी. द्वारा लिया गया निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुसार है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

138. याचिकाकर्ता द्वारा ***रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिक्षा*** (पूर्वोक्त) के मामले में इस अदालत द्वारा पारित एक निर्णय पर बहुत जोर दिया गया है। ***रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिक्षा*** (पूर्वोक्त) के मामले में पैराग्राफ सं.7 में, इस अदालत ने माना है कि आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया था और उस मामले में याचिकाकर्ता के मामले को एन.ओ.सी. जमा करने में देरी के कारण खारिज कर दिया गया था। अतः तथ्य स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं।

139. ***रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन*** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय का पैराग्राफ सं.7 इस प्रकार है:-

> *7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, एकमात्र मुद्दा, जो विचार के लिए उठा है, वह यह है कि क्या अपील को खारिज करने का आधार यह है कि अपीलकर्ता ने न तो कागजी प्रति के साथ एन.ओ.सी. जमा की और न ही संबद्ध निकाय से 15 जुलाई, 2015 की विस्तारित समय-सीमा के भीतर इसे प्राप्त किया। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि राज्य विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग की एन.ओ.सी. 26 अक्टूबर, 2015 को जारी की गई थी और इस तथ्य को अपील समिति द्वारा नोट किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा एन.ओ.सी. अपने आवेदन के साथ 30 मई, 2015 को या 26 जून, 2015 को या 15 जुलाई, 2015 की विस्तारित समय सीमा के भीतर दायर नहीं किया गया था। लेकिन मैंने नोट किया है कि एस.आर.सी. ने 31 जनवरी, 2016 के अपने निर्णय के तहत उन मामलों को फिर से खोला और उन पर कार्रवाई की, जिन्हें एन.ओ.सी. जमा न करने या देरी से जमा करने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। ऐसा ही एक मामला इंद्र गणेशन कॉलेज ऑफ एजुकेशन का है, जिसकी प्रति श्री मयंक मनीष*

द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई है, जहाँ से यह नोट किया गया है कि भले ही संस्थान का आवेदन 22 दिसंबर, 2015 को एस.आर.सी. द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में 23 फरवरी, 2016 को एस.आर.सी. को संबद्ध संस्थान का एन.ओ.सी. जमा करने वाले संस्थान ने एल.ओ.आई. प्रदान कर दिया था।

140. इस प्रकार यह देखा गया है कि ***रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन*** (पूर्वोक्त) के मामले में, विस्तारित समय के भीतर, एन.ओ.सी. प्रस्तुत किया गया था, हालांकि, वर्तमान मामले में, ऑनलाइन तरीके से आवेदन आमंत्रित करने के लिए समय बढ़ाया गया था और याचिकाकर्ता विस्तारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करने में विफल रहा है।

141. जहाँ तक ***द्रविड़ विश्वविद्यालय*** (पूर्वोक्त) के मामले का संबंध है, यह मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता से भी संबंधित है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं.14 में, यह उल्लिखित किया गया है कि अनुपालन, जैसा कि उस मामले में प्रत्यर्थी द्वारा निर्देशित किया गया था, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए थे। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं.22 में, यह उल्लिखित किया गया है कि आक्षेपित पत्र जारी होने से बहुत पहले, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सं.2 को दोनों घोषणा प्रमाण पत्र प्रदान किए थे।

142. ***द्रविड़ विश्वविद्यालय*** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय का पैराग्राफ सं. 14 और 22 निम्नानुसार है:-

14. वास्तव में जो बात सामने आती है वह यह है कि वर्तमान मामले में जिस मुद्दे को निर्धारित करने की आवश्यकता है वह काफी संकीर्ण है।

याचिकाकर्ता, एक मान्यता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, ने 18.04.2016 को मान्यता के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके जवाब में प्रत्यर्थी सं. 2 ने दिनांक 11.07.2016 के अपने पत्र के द्वारा, याचिकाकर्ता को अनुमोदन देने की सिफारिश करते हुए, इसे कुछ और अनुपालन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने सभी अनुपालनों को विधिवत प्रस्तुत किया था, यह प्रत्यर्थी सं. 2 का मामला है कि उन्होंने बार-बार याद दिलाने के बावजूद, ऐसा करने के लिए निर्धारित समय के बहुत बाद तक इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था।

22. उपरोक्त तथ्यों को विस्तार से देखने के बाद, मुझे लगता है कि वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक और निर्विवाद तथ्य यह है कि, आक्षेपित पत्र जारी होने से बहुत पहले, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी सं. 2 को घोषणा प्रमाण पत्र और ओडीएल कार्यक्रम के लिए नियमित संकाय सदस्यों की सूची दोनों प्रदान की थी, याचिकाकर्ता के मान्यता के लिए दिनांक 18.04.2016 के आवेदन को खारिज करते हुए प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा केवल दो कमियां उल्लिखित की गई हैं"

143. इस प्रकार यह देखा गया है कि ***द्रविड़ विश्वविद्यालय*** (पूर्वोक्त) का मामला भी याचिकाकर्ता को कोई सहायता नहीं करेगा।

144. जहाँ तक ***अमृत कुंवर महाविद्यालय*** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय का संबंध है, पैराग्राफ सं. 13.1 में की गई टिप्पणियों को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से अलग है कि याचिकाकर्ता ने अंतिम तिथि से पहले भुगतान किया था, लेकिन वह विशुद्ध रूप से तकनीकी गड़बड़ी के कारण सफल नहीं हुआ था।

145. मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था जो स्वीकार किया

गया है और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि ऐसा सहारा क्यों नहीं लिया गया। इसके बजाय, कागजी प्रति जमा की गई जिसे स्वीकार्य नहीं माना जाता है।

146. इस प्रकार यह देखा जाता है कि वर्तमान मामला तकनीकी गड़बड़ी का मामला नहीं है, यदि ऐसा होता, तो याचिकाकर्ता तुरंत 06.08.2022 को या उसके तुरंत बाद उचित शिकायत करता। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रकार यह देखा गया है कि ***अमृत कुंवर महाविद्यालय*** (पूर्वोक्त) का मामला भी याचिकाकर्ता की मदद नहीं करेगा।

147. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी इस न्यायालय प्रभावित करने के लिए ***रॉयल मेडिकल ट्रस्ट*** (पूर्वोक्त) और ***रॉयल मेडिकल ट्रस्ट बनाम भारत संघ*** पर भरोसा किया है कि एकमात्र बाहरी समय-सीमा जो अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है, प्रवेश की अंतिम तिथि है। उन्होंने कहा है कि चूंकि वर्तमान मामले में प्रवेश की अंतिम तिथि नहीं आई है, इसलिए प्रत्यर्थीगण को अभी भी याचिकाकर्ता का निरीक्षण करने का निर्देश दिया जा सकता है, यदि यह सुनिश्चित किया जाता है कि शेष प्रक्रिया बाहरी समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय की विभिन्न घोषणाओं को देखते हुए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने प्रभावी रूप से यह निर्धारित किया है कि शिड्यूल में निर्धारित आंतरिक चरणों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

148. अपने-अपने क्षेत्रों में शीर्ष निकायों द्वारा, विशेष रूप से एम.बी.बी.एस. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जो शिड्यूल निर्धारित की गई है, वह स्पष्ट रूप से इस तरह से निर्धारित की गई है ताकि उन चरणों में संतोषजनक तरीके से कदम उठाने में लगने वाले समय का हिसाब रखा जा सके। विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज के लिए निरीक्षण का चरण शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदक संस्थान के पास चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा है, सूक्ष्मतम विवरणों की जांच की आवश्यकता है। निरीक्षण में औचक दौरा, भी उसी का एक आवश्यक तत्व है, ताकि उन संस्थानों को बाहर निकाला जा सके जो केवल परीक्षकों के लिए दिखावा करते हैं।

149. निरीक्षण के लिए आंतरिक समय-सीमा के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति देने से, जल्दबाजी में निरीक्षण करने से, इस देश के चिकित्सा पेशेवरों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के प्रकार को प्रभावित करने का अवांछित परिणाम होगा। यह अदालत इसे वास्तविकता नहीं होने दे सकती। इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग केवल चुनिंदा मामलों में ही करे।

150. निस्संदेह, चिकित्सा शिक्षा के लिए उच्चतम मानक की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उम्मीदवारों को प्रमुख शिक्षा प्रदान करने के लिए

समय-सीमा का पालन करने की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लोगों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सक प्राप्त हों।

151. चिकित्सा पाठ्यक्रमों के संबंध में समय-सीमा और इसकी पवित्रता को स्पष्ट रूप से सभी संबद्धों के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी अभिनिर्धारित किया गया है। किसी भी उचित कारण के अभाव में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग में इसमें किसी भी कमी की अनुमति नहीं है।

152. इसलिए, वर्तमान याचिका कोई भी गुणागुण नहीं और और तदनुसार इसे लंबित आवेदन के साथ खारिज किया जाता है।

(पुरुशेंद्र कुमार कौरव)
न्यायाधीश

14 अगस्त, 2023
पी/एनसी/आरजी

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*